Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 19 अंक 06 30 जून, 2019 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

यौन उत्पीड़न की व्यथा-कथा

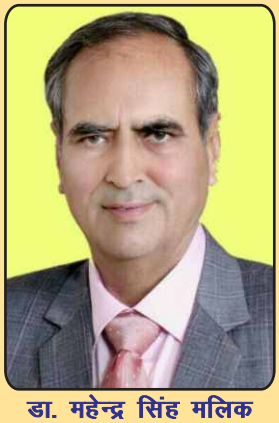

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

आज सम्पूर्ण राष्ट्र में महिलाओं विशेषकर मासूम बच्चीयों के विरूद्ध अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। भ्रुण हत्या से लेकर बच्चीयों तक को बख्शा नहीं जा रहा। नारी पर बलात्कार, मार पिटाई, दहेज प्रताड़ना और हत्याएं आम हो रही हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसी अध्यात्मक धरा भटक कर कहां जा रही है। सुबह कन्या पूजन होता है, दोपहर तक बलात्कार और हत्या तक हो जाती है। यह समाज के दोगलापन की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है? हरियाणा के कई देहात तो ऐसे भी हैं जहां स्त्री-पुरूष अनुपात आधा भी नहीं है। राज्य के 2400 देहात में 2013 के दौरान एक भी लड़की पैदा नहीं हुई। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है लेकिन बेटी का तो अस्तित्व ही अधर में है।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल 7363 गावों में से 3974 में स्त्री-पुरूष अनुपात 1000 में 500 से भी कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्र में 623.7 मिलीयन पुरूषों के मुकाबले 586.5 मिलीयन महिलाएं हैं जबकि युरोप में 100 महिलाओं के पीछे 95 पुरूष हैं। हाल ही में एक अमेरिकन देश में कम से कम दो पत्नीयों का फरमान सोशल मिडीया पर घूम रहा है क्योंकि पुरूष संख्या कम हो गई है और स्त्री संख्या बढ़ने से शादी की समस्या पैदा हो गई है। भारत की आबादी में 60 मिलीयन स्त्रीयों की कमी है जो कि ब्रिटेन की कुल आबादी के बराबर है। जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में 100 लड़कियों के पीछे 108 लड़के थे और हरियाणा में 120, पंजाब में 118, उत्तराखंड में 115, जम्मु काश्मीर 116, गुजरात में 111 है। मैडीकल रिपोर्ट के अनुसार 80 हजार महिलाएं हर वर्ष गर्भपात की शिकार होती है। प्रतिदिन 2000 कन्या भ्रुणहत्या की बलि चढ़ जाती हैं। केवल 5 वर्ष तक की आयु तक ही 75 प्रतिशत कुपोषण का शिकार होकर दुनिया को अलविदा कर जाती हैं। क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2005 के सर्वेक्षण में हर तीन मिनट में एक महिला जुल्म का शिकार होती है। हर 15 मिनट में छेड़खानी और 53 मिनट में यौन शोषण, 23 मिनट में जोर जबरदस्ती और हर 20 मिनट में बलात्कार की शिकार हो रही हैं। मात्र 10 में से 4 महिलाएं घरेलू हिंसा, 45 प्रतिशत अपने जीवन में एक बार शारीरिक व मनोवैज्ञानिक हिंसा की शिकार होती हैं।

33वीं ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह ट्रॉफी अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. एम.एस. मलिक, पूर्व डीजीपी हरियाणा को सम्मानित करते हुए पूर्व सांसद वी. हनुमंथा राओ, चेयरमैन, ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन।

शेष पेज-2 पर

Bhai Surender Singh MALIK Memorial All India Essay Writing Competition on 04-7-2019

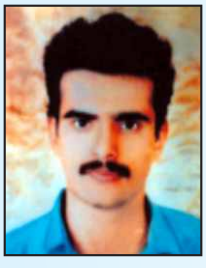

Jat Sabha, Chandigarh has been organising 'Bhai Surender Singh Malik Memorial All India on the Spot Essay Writing Competition' for the College, University & 10th, 10+1 and 10+2 students every year. This competition is dedicated to the students in the sweet and everlasting memory of late Sh. Surinder Singh Malik, Electronic Engineer, who met with a Fatal car accident in the prime of his life (23 years) on June 5, 1993 and succumbed to the injuries on July 19, 1993. Rani of Jhansi died at the age of 23. Alexander the great died at the age of 23, Florence Nightingale died at the age of 23 and Shefali Chaudhary too died at the age of 23. We are thus reminded of the sad saying "Those whom God loves, die young. During his short of life, he had held high principles and moral values and the award is to envisage his high principles of life. The award will only go to the deserving and meritorious students whose essays are evaluated best by the judges. To keep his memory alive and to develop faith and trust in the younger generation, this competition is being held every year. Inspite of all the odds an effort has been made to show his silver lining in the black clouds to the students so that they develop a belief in themselves by winning the award. The competition is financed by Bhai Surender Singh Malik Institute of Medical Science and Educational Research, Nidani, District Jind Haryana. This prestigious competition carries the prizes for urban and Rural categories. This competition will be held on 04-7-2019.

विस्तृत पृष्ठ 11 पर 1

शेष पेज–1

क्राईम रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार वर्ष 2010 से बलात्कार और अपराधिक यातनाओं में 7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में 24923 बलात्कार केस दर्ज हुए और 2013 में 33707 दर्ज हुए। हरियाणा जैसे छोटे प्रांत में भी महिलाओं के अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पहले साल 1664, दूसरे साल 2330, तीसरे साल 3055 और चौथे साल 5614 दुष्कर्म के केस दर्ज किए गए हैं। इसी तरह पहले साल छेड़छाड़ के 1853, दूसरे साल 1774, तीसरे साल 1991 और चौथे साल 2320 मामले थानो में दर्ज हुए हैं। हरियाणा में महिलाएं आज भी दहेज उत्पीड़न का शिकार हैं। सिंतबर 2014 से सितंबर 2017 के बीच चार सालों में दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। पहले साल 3408, दूसरे साल 3341, तीसरे साल 2493 और चौथे साल सितंबर माह तक 2896 मुकदमें दर्ज किए जा चुके हैं।

इंसान अपनी इंसानीयत भूल चुका है। दो, पांच व आठ वर्ष की अबोध बच्चीयों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे केसों में अपराधी अक्सर घर का या घर का करीबी ही होता है। गत वर्ष चंडीगढ में ही एक 10 वर्षीय बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया था और बलात्कारी सगा चाचा तीन बच्चीयों का पिता है। सामाजिक दबाव में वह अब बेशक सलाखों के पीछे है फिर भी परिवार को मानवता की दुहाई दी जा रही है। ऐसे अपराध अक्सर सामाजिक बंधनों और हमारी मनोवैज्ञानिक सोच की वजह से रिपोर्ट भी नहीं होते और अपराधी का हौंसला बुलंद और अपराधों की श्रंखला बना देता है। वर्ष 2012 में दिल्ली में बलात्कार के 585 केस दर्ज हुए थे, 2014 में 441 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2012 में ही मुंबई में 391, जयपुर में 192, पुणे में 171 तथा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश ने रिकार्ड बनाया और 4335 बलात्कार के केस दर्ज हुए। राजस्थान में 3288, महाराष्ट्र में 3063, उत्तर प्रदेश में 3050 तथा तमिलनाडू में 923 दर्ज हुए। यह सब भयावह सत्य सरकार की दोगली नीतियों, मानवता के खोखलापन, पुलिस की उदासीनता और ढ़िली–ढ़ाली न्याय प्रक्रिया के कारण हो रहा है। बच्चों के बलात्कार में तो केवल पुष्टि ही काफी होती है लेकिन अक्सर अपराधी का रूतबा, पैसा या पारिवारिक दबंगता और अधिवक्ताओं के कानूनी दाव पेंच तथा चयन न्यायपालिका और पुलिस उदासीनता की भेंट चढ़ जाती हैं तथा उत्पीड़िता आज के आधुनिक समाज में भी पुरूष प्रभुत्व की बलि चढ़ जाती है और अबला, निर्बला, असहाय कभी बाप, पति, भाई या बोस के जुल्मो सितम सहने को मजबूर कर दी जाती हैं। यौन उत्पीड़ित बालिकाओं का तो और भी बुरा हाल है क्योंकि अबोध कहां जाएं, किससे फरियाद करें। अगर किसी अनाथालय में भेजी भी जाएं तो वहां उससे भी बुरा होगा और वैसे भी वे पारिवारिक स्नेह के बिना रह नहीं पाती। वर्ष 2012 में 17 वर्ष तक की आयु वर्ग की लड़कियों के साथ यौन शोषण व बलात्कार की 8541 घटनाएं हुई जो कि वर्ष 2016 में बढ़कर 19765 आंकी गई। दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड के बाद सख्त कानून बनने के बाद भी राष्ट्र में प्रतिदिन बलात्कार के 106 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें 40 प्रतिशत पीड़ित लड़कियां हैं।

स्त्री को बराबरी का हक देने की हामी तो भर ली लेकिन 60 वर्षों के बाद पुरूष का ही प्रभुत्व हर जगह है। बड़े–बड़े दमगजे मारने वाली पार्टी अभी तक संसद में महिला प्रतिनिधित्व विधेयक को पारित नहीं होने देती जबकि उसी पार्टी की आयरन लेडी प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। धर्म–जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता ना जाने कितने मुद्दों पर सियासत हो रही है। अरबों रूपये पानी की तरह बहाए जा रहे हैं लेकिन समाज का अभिन्न अंग, मानवता का आधार पूजनीय ममतामयी देवी लक्ष्मी आज शिक्षा के मंदिरों तक में भी सुरक्षित नहीं है, यहां रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं।

बलात्कार जैसे घिनौने अपराध अधिकतर गरीब महिलाओं के साथ होते हैं, जिनकी सुनवाई, रुसवाई किसी दरबार या सरकार में नहीं होती। पुलिस भी दबंगों का साथ देती है। कोलकाता के हुबली जिले में खजूर दह सरकारी पुर्नवास गृह में मानसिक तौर पर कमजोर महिला से बलात्कार तथा उसकी हत्या हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि वहां 15 वर्ष तक की मानसिक विकृत, मूक बधीर लड़कियों के साथ हर रोज जोर–जबरदस्ती हो रही थी और फ्री फार आल का आलम था। छत्तीसगढ़ में 500 महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए और प्रशासनिक विभाग भी चुप रहा। हाल ही में 26 अप्रैल को राजस्थान के अलवर जिले में एक दलित दंपति को रोककर पति के सामने महिला के साथ 6 लोगों द्वारा बलात्कार किया लेकिन इस घिनौने कृत्य की 7 मई तक भी पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।

ऐसा भी नहीं है कि अंधेर नगरी, चौपट राज ही है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने को सरकार और संस्थाएं आगे आई हैं लेकिन मात्र कानून पूर्ण रूप से कामयाब नहीं होगा। सामाजिक सोच, मान्यताओं को बदलना होगा। तालीबानी निर्णयों के लिए बदनाम खापें इस सामाजिक कलंक को मिटाने हेतू एक मंच पर आई हैं। कोख चोरों पर धारा 302 में मुकदमें दर्ज होगें। यह शुरूआती है लेकिन एक सकारात्मक कदम है क्योंकि जब जागे तभी सवेरा है। सभी सरकारी गैर सरकार संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित हो ताकि महिला आत्म निर्भर होकर सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

आज के दिन स्थिति भयावह है क्योंकि बच्चों के रेप के मामलों में सजा तक का अंजाम केवल 29.6 प्रतिशत है और न्यायालयों में लंबित 89 प्रतिशत है। बच्चीयों के केस में ज्यादा मैडीकल का भी झंझट नहीं है जिसमें मात्र पुष्टि और अपराधी का नाम ही सजा के लिए काफी है फिर भी इसमें उदासीनता क्यों? पुलिस, न्यायपालिका और समाज अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री मान लेता है और रहती कसर अपनी लोकप्रियता के चक्र में मीडिया ऐसे काम कर जाता है कि उत्पीड़ित सामाजिक उत्पीड़न का भी शिकार हो जाता है। हर कोई लिप्स–सांत्वना के दो मीठे बोल बोलकर खुद उस कष्ट कलेश को बढ़ाने में ही सहयोगी होता है।

अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। –वेद व्यास

सर्वोच्च न्यायालय ने दो अंगुली टैस्ट बंद करने के आदेश पारित किए हुए हैं लेकिन आज भी यह धड़ल्ले से हो रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में तो फौरेंसिक प्रयोगशालाओं की कमी या सक्षम ही नहीं हैं, पुलिस भी पूरी प्रक्रिया की जानकार नहीं है इसलिए अक्सर साक्ष्य आधे-अधूरे एकत्रित कर अपनी कारगुजारी कर लेती हैं जो न्यायालय में जाते ही फेल हो जाती है। मौत की सजा अमेरिका तक में गैर संवैधानिक है। न्यायधीश के हाथ बंधे हैं कि बलात्कारी को 20 वर्ष कैद देनी ही है। जिसमें उसका विवेक नहीं है। अत: वह भी पुलिस की तरह अपनी कार्यवाही की इतिश्री ही उचित मानता है।

भारत सरकार ने 12 वर्ष से नीचे आयु वर्ग में बलात्कार की सजा मौत तय की है। इस कानून के तहत अन्वेषण अवधि में भी कमी कर दो से तीन माह ही कर दी है। किसी-किसी केस को छोड़कर 1983 से लेकर आज तक बहुत सारे विधेयक संशोधन किए गए हैं। बच्चों को अपराध से बचाने हेतू पाक्सो एक्ट नवंबर 2012 में लागू किया गया था लेकिन अब तक हुए संशोधनों को ध्यान में रखना अनिवार्य है ताकि मुजरिम ना छूटे और बेगुनाह ना मारा जाए। इस कानून में स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट (एफ आई आर) रेप रिपोर्ट किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जानी चाहिए ताकि पीड़ित मानसिक तौर से बातचीत में अपनापन महशुश कर सके। राष्ट्रीय क्राईम ब्यूरो के अनुसर अभी महिला अधिकारियों की कमी है इसलिए यह शर्त पूर्णतया लागू करना असंभव है। क्षेत्रीय अंसतुलन और भी भयावह है। महाराष्ट्र तथा तमिलनाडू में महिला पुलिस 30 प्रतिशत के करीब है, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मात्र 5 प्रतिशत ही है। हरियाणा तथा पंजाब में महिला पुलिस केवल 5 से 7 प्रतिशत तक ही सीमित है। दोनों ही प्रदेश महिला विरूद्ध अपराधों की श्रंखला में राष्ट्र भर में अग्रणीय हैं। हरियाणा में तो 21 महिला पुलिस थाने भी बनाए गए हैं लेकिन संगीन अपराध रोकने में प्रादेशिक सरकार फिर भी विफल रही है। राष्ट्र भर में महिला पुलिस की बढोतरी 10456 से 11367 ही हो पाई है जबकि कुल 15000 थाने हैं। अत: हर थाने में एक महिला तक नहीं है। पीड़िता के बयान दर्ज कर उसके सहज स्थान पर शर्त भी पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है। पाक्सो एक्ट में यह साबित करना भी अनिवार्य है कि पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। खेद है कि इस परिधि को पूर्णतया सर्वोच्च न्यायालय में कई बार स्पष्ट किया है कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टीफिकेट लेना अनिवार्य है ताकि मैडीकल परीक्षण उसी नजरीए से करवाया जा सके क्योंकि न्यायालय के निर्देश अभी विधेयक नहीं हैं तथा कानून की पूर्ण अनुपालना नहीं हो रही है, विशेषतया देहात में। थोड़ी सी कोताही ही डिफैंस को अपनी बात मनवाने में मददगार साबित हो सकती है। डी एन ए प्रयोगशालाओं की कमी भी अक्सर अन्वेषण में बाधक बन जाती है। बच्चों के रेप करीबी रिश्तेदार द्वारा हुआ हो, उसे जानते हुए भी बच्चा घर पर सुरक्षित नहीं है, उसे अनाथालय नहीं भेजा जा सकता।

विडंबना यह भी है कि नारी के विरूद्ध अपराध में सर्वाधिक भागीदारी भी एक महिला की ही होती है। दहेज उत्पीड़न के किस्सों में तो अक्सर महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि रहती है। मेरी पुलिस सेवा के दौरान दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या कई बार अपहरण और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दर्ज केसों की पैरवी में सिफारिश करने पंचायतें आती थी। अक्सर लड़की पक्ष वाले लड़की की ननद और सास का नाम जरूर लिखवाते थे और पंचायतें मेरे पास उसी नाम को हटाने की सिफारिश लेकर आती थी कि कंवारी लड़की को बचाओ अन्यथा उसकी शादी में दिक्कत आएगी। एक बार तो भाभी ने ही अपहरणकर्ताओं को 50 हजार रूपये देकर 15 वर्षीय अपनी ननद का ही अपहरण करवा दिया। हमारा समाज उत्पीड़ित महिला को ताने देता है उसे व्याभिचारी और कुलटा की संज्ञा दी जाती है और उत्पीड़िता को ही कलंकित माना जाता है। ग्रामीण भारत में कन्याओं से घर पर ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। लड़कों को दूध-मलाई लेकिन लड़की को सुखी रोटी और लड़का किसी काम को हाथ नहीं लगाएगा केवल धौंस जमाएगा। लड़की को बचपन में ही चुल्हे का काम सौंप दिया जाता है कि पराया धन है, सीखेगी नहीं तो सास ननद उलाहना देंगी, यह हर घर की आवाज है। आज औरत पढ़ लिखकर पुरूष से कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभा रही है लेकिन आजादी के नाम पर उसकी कमाई पर तो सुसराल पक्ष का ही हक है, वे अपनी मर्जी से कहीं आ-जा भी नहीं सकती। यहां तक कि अपने बाप से मिलने तक के लिए उसे अपने सुसराल से याचना करनी पड़ती है।

विश्व स्तर पर महिलाएं एडस जैसे खुंखार बीमारियों से ग्रस्त हैं। भारत की कुल आबादी के 70 प्रतिशत औरतें गरीबी का जीवन बसर कर रही हैं। वर्ष 2000 में 5 लाख औरतें प्रसूति के दौरान ही स्वर्ग सिधार गई। संसद में महिला संख्या 10 प्रतिशत के करीब है और जजों की संख्या मात्र 4 प्रतिशत है। महिला प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या 3 प्रतिशत है। वर्ष 2001 से 2005 तक पुलिस बल में महिला सहभागिता 10 प्रतिशत करने की बात थी लेकिन यह प्रस्ताव अतीत की तरह ठंडे बस्ते का शिकार हो गया। आज राष्ट्र की करीब 90 प्रतिशत औरतें विभिन्न स्त्री रोगों से ग्रस्त हैं। राष्ट्र के दैनिक 20 बच्चे बलात्कार और 42 बच्चे अपहरण का शिकार हो रहे हैं। इनमें से अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा हरियाणा के हैं। सामाजिक लोक लाज की वजह से अक्सर कांड रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ऐसे में अपराधी बेखौफ, बेधड़क होकर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है फिर भी महिला विरूध अपराधों में भी बंगाल ही सबसे उपर के पायदान पर है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है लेकिन मध्य प्रदेश और हरियाणा के कीर्तीमान भी कम नहीं हैं।

कन्या भ्रूण हत्या, महिला विरूध अपराधों की बुराई को खत्म करने के लिए पी एन डी टी एक्ट 1994 तथा अन्य कानूनों द्वारा प्रदत्त प्रावधानों को सुचारू रूप से लागू करना होगा। इसके साथ ही सामाजिक मानसिकता विशेषकर महिलाओं की सोच

मनुष्य की बुराइयां दीर्गजीवी और अच्छाइयां अल्पायु होती हैं। –शेक्सपीयर

को बदलना होगा ताकि पुत्र की चाहत, वंश बढ़ाने की चिंता, अंतिम क्रियाक्रम पुत्र द्वारा किए जाने के संकीर्ण रूढ़िवादी विचारधाओं से समाज को उभारा जा सके। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए लड़की की शादी को लेकर समस्या बन रही मंहगाई व लगातार बढ़ रही दहेज की मांग पर भी कानून द्वारा अंकुश लगाने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण कन्या भ्रूण हत्या व महिला विरूद्ध अपराधों को रोकने में काफी कारगर हो सकता है इसलिए पुलिस बलों, सुरक्षा बलों, सभी सरकारी सेवाओं तथा देश की संसद में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि महिला वर्ग आत्म निर्भर होकर सम्मान से निर्णय ले सके। इसके इलावा पुलिस व कानूनी तंत्र के साथ युवा वर्ग का आन लाईन तकनीकी तालमेल, पुलिस तंत्र के साथ युवा सलाहकार समितियां बनाकर, युवा वर्ग के तालमेल से समस्या निराधारण दृष्टिकोण के साथ क्राईम रोकथाम के लिए युवा क्राईम निरोधक वैबसाईट बनाकर पुलिस अधिकारियों को अपराधों के प्रति प्रशिक्षण देकर , उचित सुरक्षा तथा युवा वर्ग के तालमेल को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में युवाओं से तालमेल स्थापित करने आदि कार्यक्रमों द्वारा पुलिस तंत्र को महिला विरूद्ध हो रहे विभिन्न अपराधों को नियंत्रण करने हेतू सक्षम बनाया जा सकता है। इसी दिशा में प्रांतीय सरकारों को पुलिस विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में आपसी तालमेल और निरंतर सहयोग में बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व पुलिस महा निदेशक हरियाणा,
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति एवं
जाट सभा, चंडीगढ व पंचकुला

आधी आबादी को असली हक मिलना अभी बाकी

-डॉ. महेंद्र सिंह मलिक

हाल फिलहाल में महिलाओं से जुडी दो खबरें चर्चा में रही हैं। एक तो हालिया लोकसभा के चुनावों में महिला सांसदों की संख्या और दूसरा कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में अदालत का फैसला। पहले इन दोनों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद देश-प्रदेश में महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा पर भी बात होगी। बड़ा सवाल यही है, क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? और सबसे बडी उम्मीद जो देश की महिलाएं रख रही हैं वो ये है कि आखिर महिलाएं सशक्त कैसे होंगी?

लोकसभा चुनाव में इस बार सर्वाधिक महिलाएं चुनकर संसद में पहुंची हैं। आधी आबादी का प्रतिनिधत्व करने वाली महिलाए ससंद की कुल 543 निर्वाचित सांसदों में 78 की संख्या है। चुने गए सांसदों में से सबसे कम उम्र की सांसद भी एक महिला ही है। ओडिशा से इस बार सबसे ज्यादा 33 प्रतिशत महिला उम्मीदवार संसद पहुंची हैं। इतना ही नहीं ओडिशा ने सबसे कम उम्र की महिला सांसद को भी लोकसभा भेजा है। ओडिशा की ओर से संसद में देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद 25 वर्षीय चंद्राणी मुर्मू पहुंची हैं। मुर्मू ने इंजीनियरिंग की है। वह बीजू जनता दल (बीजद) के टिकट पर क्योंझर लोकसभा सीट (आरक्षित) से चुनाव लड़कर सदन पहुंची हैं। वैसे चुनीं गई कुल 78 महिला सांसदों में बीजेपी की 40 महिला सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस की 9 सांसद हैं कांग्रेस की 6 सासंद हैं बीजेडी की चार, वाईएसआर की चार इसके अलावा दो दलों की 2-2 महिलाएं और करीब 9 दलों की 1-1 महिला उम्मीदवार संसद पहुंची हैं। इसमें औसत के हिसाब से मानें तो बीजू जनता दल के 12 सांसदों में से 5 महिलाएं हैं. इस बार वहीं चुने गए सांसदों के स्ट्राइक रेट की बात करें तो महिलाओं की जीत का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा है। बीजेपी की महिला उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 74.1 प्रतिशत रहा तो वहीं पुरूष सांसदों का स्ट्राइक रेट 68 प्रतिशत रहा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और डीएमके ने जिन महिला सांसदों को टिकट दिया था, सभी जीतकर संसद पहुंचीं हैं वहीं कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा खराब रहा। जीती हुई 78 उम्मीदवारों में से 30 उम्मीदवार ऐसी हैं, जो 1 लाख या उससे ज्यादा वोटों के अतर से जीतीं हैं। इनमें सबसे कम वोट प्रतिशत से सुल्तानपुर की बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी जीती हैं जिनका अंतर मात्र 14500 रहा। वहीं सबसे ज्यादा अंतर 5,89,177 से वडोदरा से बीजेपी उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट जीतीं हैं।

17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की अब तक की सबसे ज्यादा भागीदारी के साथ ही उनकी संख्या कुल सदस्य संख्या का 17 प्रतिशत हो गई है जो 33 प्रतिशत का अभी आधा भी नहीं है। इन लोकसभा चुनावों में कुल 8049 उम्मीदवार मैदान में थे जिनमें 724 महिलाएं थीं। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 64 रही। इनमें से 28 मौजूदा महिला सांसद चुनाव मैदान में थीं। जिन प्रमुख सांसदों को इन चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा उनमें सपा की डिंपल यादव और भाजपा की जया प्रदा शामिल हैं। चुनावों में नर्दिलीय महिला उम्मीदवारों की संख्या 222 थी वहीं चार ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने भी नर्दिलीय चुनाव लड़ा।

अब मैं फिर से वही सवाल करूंगा जो शुरुआत में किया था देश की संसद में इस बार सर्वाधिक महिलाएं चुनकर

पहुंची हैं उससे क्या वो सशक्त बनेंगी?

अब बात करते हैं एक दूसरी खबर की। देश को हिला देने वाले कठुआ में बच्ची के साथ कई दिनों तक शारीरिक उत्पीडन के बाद उसकी हत्या करने वालों को सजा मिली है। पिछले साल की शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू-कश्मीर के कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना पर आज फैसला सुनाया गया। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें से तीन को उम्रकैद और अन्य तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है. जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें सांझी राम, दीपक खजुरिया और परवेश शामिल हैं जबकि तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया. सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फैसला आने के दूसरे दिन मंगलवार को पीड़ीता की मां ने कहा कि थोड़ा सुकून पहुंचा है। लेकिन जैसे उसकी बेटी को मारा गया वैसे दोषियों को भी फांसी की सजा सुनाई जाए। उनका कहना था कि आठ साल की बच्ची को चांटा मारने से पहले हम कई बार सोचते हैं, कोई कैसे एक मासूम बच्ची को मार सकता है। मां के अनुसार, फैसले से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि वह चाहती हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। फांसी इसलिए कि हमारे भी दिल को थोड़ा सुकून मिल सके। आंखों में उदासी लिए वह एक ही बात कहती रही कि बच्ची के साथ जो हुआ उससे हमारा कलेजा तक कांप गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। हमारी बेकसूर आठ साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, अपराधियों को फांसी मिले ताकि पता चले कि ऐसी गलती करने का क्या नतीजा होता है।

ये सच है कि जब महिलाओं के लिए कोई अच्छी खबर देश में मिले तो संतोष मिलता है और जब महिला विरूद्ध अपराध पर सजा मिलती है तो कानून में विश्वास बढता है। संसद में इस बार इतनी महिलाओं का चुना जाना और एक बडे अपराध में दोषियों को सजा मिलना दोनों ही महिलाओं को हिम्मत देगा लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। असल में महिलाओं को अपने अधिकारों का ही ज्ञान नहीं है। बिना अधिकारों की जानकारी के महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। भारत का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा समानता प्रदान करने वाले दस्तावेजों में से एक है। यह विशेष रूप से लिंग समानता को सुरक्षित करने के प्रावधान प्रदान करता है।

आज महिलाएं अपने कैरियर को लेकर गंभीर हैं, हांलाकि, मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न, स्त्री द्वेष और लिंग असमानता इनमें से ज्यादातर के लिए जीवन का हिस्सा बन गई हैं। आज के अंक में हम महिलाओं के इन अधिकारों की ही जानकारी देंगे, जिनको जानकर और अपनाकर न केवल महिलाओं का जीवन सुखद हो सकता है बल्कि उनके विरूद्ध अपराध में भी कमी लाई जा सकती है।

देश के कानून में महिलाओं को दिए गए हैं ये अधिकार-

- समान वेतन का अधिकार- समान पारश्रिमिक अधिनियम के अनुसार, अगर बात वेतन या मजदूरी की हो तो लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।

- वर्किंग प्लेस में उत्पीड़न के खिलाफ कानून- यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी।

- मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार- मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ये उनका अधिकार है। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है. इस दौरान महिला के सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है।

- कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार- भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो एक महिला को उसके मूल अधिकार-'जीने के अधिकार'का अनुभव करने दें। गर्भाधान और प्रसव से पूर्व पहचान करने की तकनीक (लिंग चयन पर रोक) अधिनियम कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार देता है।

- संपत्ति पर अधिकार- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के आधार पर पुश्तैनी संपत्ति पर महिला और पुरुष दोनों का बराबर हक है।

- पिता की संपत्ति पर अधिकार- भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है। अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा।

विचार का चिराग बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। –बिनोवा भावे

- नाम न छापने का अधिकार- यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को नाम न छापने देने का अधिकार है, अपनी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार हुई महिला अकेले अपना बयान किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने दर्ज करा सकती है।

- पति की संपत्ति से जुड़े हक- शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए,पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत न होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं।

- घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार- ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है,आप या आपकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है।

- रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सेक्शन 46 के तहत एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी के मजस्ट्रिेट के आदेश पर ही ये संभव है। बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। उसे जमानत से जुड़े उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए, साथ ही गिरफ्तार महिला के नजदीकी रश्तिेदारों को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जम्मिेदारी है।

- पति-पत्नी में न बने तो- अगर पति-पत्नी साथ न रहना चाहें, तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है, अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए, तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है।

- गरिमा और शालीनता के लिए अधिकार- किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो, उसपर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।

- मुफ्त कानूनी मदद के लिए अधिकार- बलात्कार की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। पुलिस थानाध्यक्ष के लिए ये जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे।

- हम खुद को मॉर्डन कहते हैं, लेकिन सच यह है कि मॉर्डनाइजेशन सिर्फ हमारे पहनावे में आया है लेकिन विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, नई पीढ़ी की महिलाएं तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर साबित करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती लेकिन गांव और शहर की इस दूरी को मिटाना जरूरी है।

हालांकि ऐसा कहना बेमानी होगा कि भारत में ऐसा नहीं हो रहा है यहां महिलाओं को उपयुक्त कानून बनाकर काफी शक्तियां दी गई है लेकिन ग्राउंड लेबल पर अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की गुंजाइश है, इसके बावजूद महिलायें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी और बेहद सुंदरता से और खास बात बगैर किसी अपेक्षा के निभाये जा रही हैं।

आखिर क्या है ये चमकी बुखार?

बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार को आठ और बच्चों की चमकी के कहर से मौत के बाद अब तक इससे मरनेवाले बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 111 जा पहुंची है। लगातार हो रही बच्चों की मौत का यह आंकड़ा पिछले 15 दिनों तक का है। गर्मी बढ़ने से सुबह से गंभीर हाल में बच्चे को अस्पतालों में लाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में पूरे देश में चमकी बुखार को लेकर दहशत का माहौल है। विशेषकर वहां भी जहां, अभी तक इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। आइए जानते हैं क्या है चमकी बुखार, लक्षण और इसके उपाय।

'चमकी बुखार'या 'इंसेफ्लाइटिस'को बताया जा रहा है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को कुछ लोग दिमागी बुखार, जापानी बुखार, चमकी बुखार आदि भी कहते हैं। ज्यादातर गर्मी और उमस के मौसम में फैलने वाली इस बीमारी ने बिहार में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात ला दिए हैं। मरने वाले ज्यादातर बच्चे 1 से 10 साल की उम्र के हैं। इंसेफ्लाइटिस मस्तष्कि से जुड़ी समस्या है। हमारे मस्तष्कि में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं, जिनके सहारे शरीर के अंग काम करते हैं। जब इन कोशिकाओं में सूजन आ जाती है, तो इसे ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कहते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के वायरस जब शरीर में पहुंचते हैं और खून में शामिल होते हैं, तो इनका प्रजनन

शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे ये अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। खून के साथ बहकर ये वायरस मस्तष्कि तक पहुंच जाते हैं। मस्तष्कि में पहुंचने पर ये वायरस कोशिकाओं में सूजन का कारण बनते हैं और शरीर के'सेंट्रल नर्वस सिस्टम' को खराब कर देते हैं। इंसेफ्लाइटिस एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है, जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है। अगर देर की जाए, तो व्यक्ति की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के कारण पहले भी हजारों बच्चों की जानें जा चुकी हैं। यही नहीं, खास बात ये है कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों ही नहीं, बल्कि वयस्कों और बुजुर्गों को भी प्रभावित कर सकती है।

लीची और चमकी बुखार का क्या है कनेक्शन?

रिपोर्ट बताती हैं कि शुरुआती मामलों में कुछ बच्चों में पाया गया कि संक्रमित बच्चों ने लीची का सेवन किया था। इसके बाद इस बात के सूत्र खोजे जाने लगे कि क्या लीची ऐसी बीमारी का कारण बन सकती है। बिहार में होने वाली मौतों में अभी लीची को वैज्ञानिक रूप से कारण नहीं पाया जा सका है। मगर 'द लैसेंट' नामक पत्रिका में 2017 में छपी रिपोर्ट, जो कि बिहार में ही 2014 में हुई मौतों के बारे में थी, बताती है कि लीची इस तरह की मौत का कारण बन सकती है।

दरअसल कच्ची या अधपकी लीची में हाइपोग्लायसिन ए 'तथा' मेथिलीन सायक्लोप्रोपाइल ग्लायसीन'नाम के तत्व पाए जाते हैं। देर तक खाना न खाने पर शरीर का ब्लड शुगर लेवल वैसे ही कम हो जाता है। ऐसे में अगर सुबह खाली पेट इन अधपकी या कच्ची लीचियों को खा लिया जाए, तो ये दोनों तत्व शरीर का ब्लड शुगर और ज्यादा घटा देते हैं, जिससे कई बार स्थिति जानलेवा हो सकती है। बिहार में कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि मरने वाले बच्चों ने रात का खाना नहीं खाया था। हालांकि पिछले 2 सप्ताह में हुई मौतों के मामले में लीची कितनी जम्मिेदार है, इसका पता आगे जांच द्वारा ही चलेगा।

मस्तष्कि ज्वर (चमकी बुखार) के लक्षण: तेज बुखार आना, चमकी अथवा पूरे शरीर या किसी खास अंग में ऐंठन होना, दांत पर दांत लगना, बच्चे का सुस्त होना, बेहोश होना व चिउंटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होना। ये लक्षण दिखते ही अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर डॉक्टर को दिखाएं। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो आगे चलकर ये गंभीर हो सकती है।

चमकी बुखार होने पर क्या करें: तेज बुखार होने पर पूरे शरीर को ताजे पानी से पोछें एवं पंखा से हवा करें ताकि बुखार कम हो सके। बच्चे के शरीर से कपड़ें हटा लें एवं गर्दन सीधा रखें। पारासिटामोल की गोली व अन्य सीरप डॉक्टर की सलाह के बाद ही दें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा है तो उसे साफ कपड़े से पोछें, जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। बच्चों को लगातार ओआरएस का धोल पिलाते रहें। तेज रोशनी से बचाने के लिए मरीज की आंखों को पट्टी से ढंके। बेहोशी व मिर्गी आने की अवस्था में मरीज को हवादार स्थान पर लिटाएं। अगर दिन में बच्चे ने लीची खाया है तो उसे रात में भर पेट भोजन कराएं। चमकी आने की दशा में मरीज को बाएं या दाएं करवट लिटाकर ले जाएं।

चमकी बुखार होने पर क्या न करें: बच्चे को खाली पेट लीची न खिलायें, अधपके अथवा कच्चे लीची को खाने से बचें। बच्चे को कंबल अथवा गर्म कपड़ों में न लपेटें, बच्चे की नाक न बंद करें। बच्चे की गर्दन झुकाकर न रखें। मरीज के बिस्तर पर न बैठे साथ ही ध्यान रखें की मरीज के पास शोरगुल न हो।

जानलेवा बुखार के लिए सामान्य उपचार व सावधानियां: 1.अगर आपके बच्चे में चमकी बीमारी के लक्षण दिखें तो सबसे पहले बच्चे को धूप में जाने से बचाएं। 2.बच्चा तेज धूप के संपर्क में न आने पाए। 3.बच्चों को दिन में दो बार स्नान कराएं। 4.गर्मी के दिनों में बच्चों को ओआरएस अथवा नींबू-पानी-चीनी का घोल पिलाएं। 5.रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर ही सुलाएं।

बच्चों को क्यों शिकार बना रहा है चमकी बुखार?

बिहार में जिन बच्चों को चमकी बुखार शिकार बना रहा है, उनमें से ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से हैं और कुपोषण का शिकार हैं। खाने की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण ये बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हैं और इनका प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सस्टिम (वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों से शरीर को बचाने वाला सिस्टम) भी बहुत कमजोर है। ऐसे में वायरस के प्रभाव के कारण इन बच्चों का ब्लड शुगर बहुत जल्दी गिर गया।

आओ याद करें शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी

-कामरेड कृष्ण स्वरूप गोरखपुरिया

भारतीय स्वाधीनता सघर्ष के महानायक शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून,1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला मे साधारण परिवार मे हुआ था। वह एक प्रख्यात क्रान्तिकारी के इलावा एक सवेदनशील कवि, शायर, साहित्यकार, इतिहासकार व लेखक के साथ-साथ बहुभाषी अनुवादक भी थे। भारत को सशस्त्र सघर्ष से आजाद करवाने का लक्ष्य लेकर विदेशी धरती पर गठित''गदर पार्टी''के आह्वान पर आए 8 हजार देशक्तों की 19 फरवरी,1915 की असफल बगावत के 60 से ज्यादा देशभक्तों

कलियुग में रहना है या सतयुग में यह तुम स्वयं चुनो। तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। –विनोबा भावे

मे से 24 को लाहौर मे फासी की सजाए हुई थी। इनमे से एक भाई प्रमानन्द को हुई फांसी की सजा से उद्वेलित रामप्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समूल नष्ट करने की शपथ लेकर क्रान्तिकारी बन गये।

चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व मे 1924 मे गठित हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एशोसिएसन के प्रमुख सतम्भ बनने से पूर्व सभी युवकों की तरह शहीद बिस्मिल ने 1920-22 के महात्मा गाधी के आह्वान पर चले असहयोग आन्दोलन मे भी हिस्सा लिया था, परन्तु असहयोग आन्दोलन की बेवजह अचानक वापसी से रामप्रसाद बिस्मिल ने सशस्त्र सघर्ष की तरफ कदम बढाया। उन्होंने अपने 9 अगस्त,1925 को ऐतिहासिक काकोरी रेल डकैती की घटना को अजाम दिया, जिसे अंग्रेजी सरकार ने एक बडी.चुनौति के रुप मे लिया और चन्द्रशेखर आजाद के इलावा सभी अभियुक्तो को गिर्फतार कर लिया और मुकदमे का नाटक करके रामप्रसाद बिस्मिल,अशफाकउल्ला खाँ, राजेन्द्र लाहिडी और रोशन सिह को फासी पर लटकाने का हुक्म दिया गया। 19 दिसम्बर,1927 को गोरखपुर जेल मे फांसी पर लटका उन्हे शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर कितने ही देशभक्त उनका यह गीत 'सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है...' 'देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है' गाते हुए युवक फांसी के फंदे पर चढ गये। इतिहास की विडम्बना देखिए कि जिस क्रान्तिकारी भाई प्रमानन्द की फासी की सजा से उद्वेलित रामप्रसाद बिस्मिल तो शहीद हो गया, परन्तु भाई प्रमानन्द की फासी उम्रकैद मे बदल गयी और वह कालापानी की सजा काट जिन्दा भारत आ गया। उस महान शहीद शिरोमणि रामप्रसाद बिस्मिल को राष्ट्र उसके जन्मदिन पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

हिन्दू राष्ट्रवाद का प्रखर प्रतिरोध रचती एक पुस्तक!

– डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार

आजकल जो धार्मिक या आध्यात्मिक अस्मिता विमर्श का विषय बेवजह से बना दिया गया है, उसी विषय पर श्री शशि थरूर द्वारा आंग्ल भाषा में लिखित एक पुस्तक "Why I am a Hindu" से हम अभी-अभी गुजरे हैं। भूमिका में ही इस लेखक ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट कर दिया है। यह लेखक पूर्णतः नास्तिक नहीं है, बल्कि एक निष्ठावान हिन्दू ही है। साम्यवादी चिन्तक भी नहीं है कि जो धर्ममात्रा को ही मानवीय दुर्बलताओं और दमनशीलता का एकमात्रा कारण कहीं मानता हो। श्री शशि थरूर एक परम्परावादी धर्मनिष्ठ हिन्दू हैं, लेकिन हिन्दुत्ववादी कदापि वे नहीं हैं।

इस लेखक ने सर्वप्रथम हिन्दूत्व का जो शास्त्रीय और व्यावहारिक व्यापक स्वरूप है, उसको ही स्पष्ट किया है। उसने वेदों और उपनिषदों से गीता और दर्शनों तक से जो एक सर्वसमन्वयशील और सहिष्णुता की पावन परम्परा हिन्दु विचार-दर्शन की रहीं हैऋ उसी का निदर्शन श्री शशि थरूर ने इस पुस्तक की पृष्ठभूमि में किया है। उन्होंने यहाँ पर यह उद्धृत किया है कि स्वयं वैदिक-साहित्य में ईश्वर के नाना नामों की सहर्ष स्वीकृति मिलती है- 'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' अर्थात् विद्वान लोग एक ही मूल-सत्ता को नाना नाम रूपों में मानते हैं। यही क्यों, अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में एक देश या राष्ट्र में बहुत सारे धर्मों और भाषाओं तथा जनों या लोगों को एक परिवार की भांति सहअस्तित्व के साथ रहने का सद्परामर्श दिया गया है-

''धर्माणं नाना बहुधा विाचसम्
जनं विभ्रति पृथिवी यथोकसम्।।''

अतएव हमारे वेद-शास्त्रों से लेकर उपनिषद् काल तक भी हमें भारत में बहुलवादऋ या पिफर अनेकान्तवाद की सहनशक्ति की प्रखर परम्परा मिलती है। उपनिषदों में तो 'एको देव सर्व भूतेषू गूढः' कहकर एक ही सर्वव्यापक सत्ता को स्वीकार करके सर्वात्मवादी विचार-दृष्टि का ही प्रचार किया गया है। गीता में भी यही कहा गया है- ''शनि चैव श्वपाके च पण्ड़िता समदर्शिनः''।

अर्थात् ज्ञानियों को एक विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मणं और एक कुतिया और एक चांडाल में भी उसी एकमात्रा परमसत्ता के दर्शन होते हैं। शंकराचार्य के वेदान्त दर्शन या अद्वैतदर्शन की आधार-भित्ति भी तो यही एकत्व की वैश्विक अनुभूति है। बौद्ध धर्म-दर्शन ने भारतीय मानव-मनीषा को कार्य-कारण श्रृंखला या प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धान्त देकर तर्क की तलवार और विवेक-बुद्धि भी दी है। अतएव अंधास्था का वहाँ पर अस्वीकार ही है। सेवा और जीव-दया या क्षमा-स्नेह और सहकार एवं करुणा, सहानुभूति जैसे मानवीय मूल्य उसने हमें दिये हैं। तो जैन धम-दर्शन ने हमें अपरिग्रह, अंहिसा और अनेकान्तवादी सहिष्णु विचार-वैभव दिया है। 'अंहिसा ही परमो धर्मः' मानव मनीषा का चूडान्त विचार-शिखर है। सबसे बडी देन जैन-दर्शन की यह है कि उसने सत्य को केवल एकान्त आग्रही दृष्टि से देखकर एकपक्षीय ही स्वीकार नहीं किया है। अपितु उसे बहुआयामी और अनेकों पहलुओं से देखने और परखने की एक विवेकवादी जीवन-दृष्टि भी हमें दी है। अतएव श्रमण-संस्कृति के पुण्य प्रभाव से ही भारतवर्ष में शास्त्रार्थों की पावन परम्परा प्रचलित थीऋ जिसमें विरोधी विचारों को भी सुनने और समझने की गुंजाईश तर्कशीलता के कारण थी। और तो क्या, हिन्दू धर्म को मूर्तिपूजा और अवतारवाद की अवधारणाएँ भी उसी ने दी हैं।

आधुनिक युग में राजा राममोहन राय एवं केशवचन्द सेन और स्वामी दयानन्द सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस से लेकर स्वामी विवेकानन्द से लेकर महात्मा गांधी और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तक की चिन्तन-दृष्टि में श्री थरूर भारतीय आध्यात्मिकता की इसी सर्वसमावेशी और व्यापक धार्मिक विचार-परम्परा को देखते हैं। लेकिन जब से सेमेटिक इस्लाम की भाँति हिन्दूज्म को हिन्दूत्व का नया नाम देकर कुछ सांस्कृतिक राष्ट्रवादी लोगों ने उसको राजनीतिक मताग्रह ही बना दिया है। तभी से हिन्दू धर्म ने अपनी सर्वसमन्वयशीलता और सहिष्णुता की पुनीत परम्परा में संकुचन ही पाया है। विशेषकर आधुनिक युग में विनायक दामोदर सावरकर और स्वयं सेवक-संघ तथा हिन्दू महासभा के लोगों ने आध्यात्मिक हिन्दुज्म को एक असहिष्णु मतवाद और एक विभेदक राजनीतिक अस्मिता-विमर्श में ही तो बदल दिया है।

प्रलय होने पर समुद्र भी अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं लेकिन सज्जन लोग महाविपत्ति में भी मर्यादा को नहीं छोड़ते। –चाणक्य

इस पुस्तक के लेखक के अनुसार जिन्हा से भी पूर्व 1923 ई० में वीर सावरकर ने ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में दो धर्मों पर आधारित नस्लवादी राष्ट्रवाद का नव्य नारा दिया था। उनके लिए जो भी हिन्दू-धर्म के कर्मकाण्ड़ या पूजा-पद्धति में अटूट विश्वास रखते हों और स्वयं को हिन्दू मानते होंऋ वही यहाँ पर रहने वाले बसने के अधिकारी थे। शेष गैर हिन्दू अल्पसंख्यक लोग यहाँ पर दोयम दर्जे के ही नागरिक माने जाएंगें। इसी संकीर्णतावादी राजनीति हिन्दूत्व का विस्तार हमें राष्ट्रीय स्वयं संघ की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी विचार-दृष्टि में मिलता है। वे भी हिन्दू-देवी देवताओं में अचल और अटल विश्वास रखने वाले भारतीयों को ही हिन्दू और भारत के मूल नागरिक मानते हैं। जिनके आस्था-स्थल भारत से बाहर हैं, ऐसे अहिन्दू लोग उनकी संकीर्ण दृष्टि में केवल अतिथि भर ही है। अतएव उनको मतदान तक भी अधिकार नहीं होना चाहिए और ना ही यहाँ पर सम्पत्ति-संचय और बोलने या लिखने की आजादियाँ ही हासिल होनी चाहिए। जबकि हिन्दू स्वयं में कभी एक भौगोलिक संज्ञा ही थी, जिसको वर्तमान में बलपूर्वक धार्मिक पहचान दे दी गई है।

सावरकर से लेकर राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संघ तक की उसी असमन्वयशील और असहिष्णु विचार-दृष्टि के ही विरोध में श्री शशि थरूर इस पुस्तक को लिखने को तत्पर हुए हैं। हिन्दू धर्म की वर्ण-व्यवस्था वाली जो सीढीनुमा विषमतावर्धक वर्ण-व्यवस्था किवां जाति-व्यवस्था हैऋ उसी को वे दलितों-वंचितों एवं स्त्रियों के विरोध में खड़ी पाते हैं। कहाँ एक ओर शास्त्रीय हिन्दू धर्म 'वसुधैव कुटम्बकम्' का डिण्डिम घोष तारस्वर में अनवरत भाव से किया करता है। कहाँ, दूसरी ओर उसने अपने ही आधे नारी समाज और चतुर्थांशं शूद्र समाज को पशुतुल्य जीवन जीने के लिए विवश अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के चलते किया है। अब राजनीतिक धरातल पर हिन्दू-एकता के नाम पर बाबरी-मस्जिद; 1992 ई० के विध्वंस के पश्चात हिन्दूत्व के एक विध्वंसक और हिंसक स्वरुप का ही तो अग्र उभार हुआ है। जोकि परम्परागत हिन्दू धर्म के अपने जो मूलभूत जीवन-मूल्य हैं, उनके ही तो वह विरोध में खड़ा है? स्वयं मनुस्मृति में धर्ममात्रा के ये दस लक्षण गिनाये गये हैं-

''धृति क्षमा दशोअस्तेयं शौचमिन्द्रियं निग्रहः
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकम् धर्मलक्षणम्।।

क्या अबका राजनीतिक हिन्दूत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इन तंत्वों को स्वीकृति देता है?

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ संचालक मोहन भागवत का यह ब्यान क्या दिखलाता है- ''जब इंग्लैंड के निवासी सभी अंग्रेज हैं और प्रफांस में रहने वाले प्रफैंच कहलाते हैं तो पिफर प्रत्येक भारतवासी को स्वयं को हिन्दू कहलवाने में क्योंकर संकोच का अनुभव होता है।'' अब आप देखिये कि जब आप राष्ट्रीयता को धर्म के पैमानों से परिभाषित करेंगें तो तब हिन्दू एक राष्ट्रीयता किंवा जातीयता कैसे मानी जा सकती है। तब तो वह एक विशिष्ट धार्मिक पहचान मात्रा ही बनकर रह जायेगी। शशि थरूर यहाँ पर एक बात को और अधिक पुरजोर उठाते हैं कि एक ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवादी लोग यह कहते हैं कि 'गर्व से कहो हम हिन्दू हैं'। दूसरी ओर जब वे उसका या अपने मतवाद किंवा धर्मोन्माद का अनुचित आरोपण राष्ट्रीयता या जातीयता पर करते हैं तो तब वे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की इस टिप्पणी को नो अपना वेद-वाक्य क्यों बना लेते हैं- ''हिन्दू एक जीवन-पद्धति है, वह एक विशेष मत-पंथ या पूजा-प्रणाली नहीं है।'' तब पिफर सभी का बलाद् हिन्दूकरण करने का धार्मिक उन्माद क्यों पफैलाया जाता है?''

पिफर 'घर-वापसी' और 'लव-जिहाद' या 'रोमियो जुलियट' जैसी अलोकतांत्रिाक और विखंडनकारी मुहिम क्योंकर चलाई जाती हैं। अल्पसंख्यकों का बलाद् हिन्दूकरण और हिन्दुओं का सैनिकीकरण करके एक सिविल-मिलेशिया की सशस्त्रा भीड़ इकट्टी करके मौब-लिचिंग गोरक्षा के नाम पर क्यों कराई जाती हैं। जबकि यह वस्तुसत्य है कि हिन्दू वास्तव में ही कोई मत-पंथ या धर्म-विशेष नहीं है। यह लेखक यह रेखांकित करता है कि धर्मों की पहचान है कि उनका एक विशिष्ट आराध्य अथवा उपास्य देव होता है तो एकमात्रा पवित्रा धर्मग्रंथ भी रहता ही है। उनकी उपासना-पद्धति भी लगभग एक समान ही रहती है। ये दोनों-तीनों बातें आपको ईसाईयत और इस्लाम में मिलेंगी लेकिन हिन्दू धर्म तो बहुदेवोपासक है और बहुत सारे धर्मग्रन्थों में विश्वास रखता हैऋ अतएव वह सामी अथवा एकेश्वरवादियों की भाँति एकाश्म या एकात्म भी कहाँ है। पं० दीनदयाल का एकात्म-मानववाद भी तो हिन्दुओं को सेमेटिक ही मानता है। संघी धर्म-धुरन्धर उसको इस्लाम की भाँति एकात्म ही बना दे रहे हैं।

श्री शशि थरूर यहाँ पर यह मानते हैं कि हिन्दू धर्म-दर्शन की इसी उदासीनता और सहिष्णुता ने उसे विशाल सागर जैसा स्वरुप दिया है। जिस प्रकार से समुद्र में बहुत-सी जलधाराओं का जल आकर एकाकार ही हो जाता है, उसी प्रकार से उदार हिन्दू धर्म भी ग्रहणशील और सर्वसमावेशी ही है। जबकि भाजपा या संघ का हिन्दूत्व आध्यात्मिक उदारता से सर्वथा रहित ही है। बल्कि वह तो अत्यन्त आग्रहशील ही हैं, संग्रहणशील या सहिष्णु कहाँ है। इस विषय में हमें भी एक दृष्टान्त स्मरण हो आया है। दिल्ली के एक सूपफी संत काले खां साहब एक बार वृन्दावन में बाँके-बिहारी के दर्शनार्थ गये हुए थे तो वहाँ के पुजारियों ने उनको देव-दर्शन नहीं करने दिये थे क्योंकि वे श्रीकृष्ण को केवल हिन्दुओं का ही आराध्य देव मानते थे। अतएव उन्होंने काले खाँ साहब के देवदर्शनों से वंचित करने की गरज से द्वारकाधीश के पट बन्द कर दिये थे। तब श्री कालेखाँ सूपफी सन्त जोकि एक ब्रजभाषा के अच्छे कवि भी थे, उन्होंने श्रीकृष्ण से ही सीधा संवाद स्थापित किया था-

'जो हौ तुम हिन्दूपति तौ मैरो कछु दावौ नहीं।
जो हौ जगपति तो मेरी भी सुध लीजिए।''

उनके ऐसा बोलते ही पण्ड़े-पुजारियों के मुँह पर जैसे थप्पड़-सा लगा था। कहाँ तो वे स्वयं श्रीकृष्ण को तीन लोकों का नाथ दिन-रात बखानते थे, उनकी आरती-पूजा में और कहाँ समस्त भारतियों को भी अब उसके दर्शनों से वंचित कर रहे थे। अतः उन्होंने तुरन्त ही उस सूपफी-संत को कान्हा के दर्शन कराये थे। यही व्यापक हिन्दूज्म और कट्टर राजनीति हिन्दूत्व की अवधारणाओं में मूलभूत अन्तर है। जब बावरी मस्जिद का विध्वंस (1992 ई०) में इन्हीं संघी साम्प्रादायिक योद्धाओं ने संविधान की झूठी कसम खाकर भी असंवैधानिक रूपेण किया था, उत्तर भारत की दिवारों पर विशेषकर दिल्ली में यह नारा गली-गली में अंकित था- ''बच्चा-बच्चा राम का।'' इसके विरोध में धर्मनिरपेक्ष विचार धारा के एक 'सहमत' नामक साहित्यिक संगठन ने उसी के नीचे यह नारा उत्तरस्वरूप लिखवा दिया था -

''जब बच्चा-बच्चा राम का, तो पिफर झगडा किस काम का।''

अहंकार से तप नष्ट हो जाता है और इधर–उधर कहने से दान निष्फल हो जाता है। – मनु

उदार हिन्दू धर्म स्वयं में व्यापक और उदार है जबकि संकीर्ण और कट्टर हिन्दूधर्म कूपमंडक और सम्प्रदायवादी और हिंसक और असहिष्णु भी है।

जो लोग आजकल मध्यमार्गी राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम हिन्दूत्व की भी मुखर आलोचना किया करते हैं, इस लेखक के मतानुसार वह उचित नहीं है। वह यह मानता है कि स्वयं स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के अपने एतिहासिक उद्‌बोधन में हिन्दू धर्म की विशेषता विविधता किंवा बहुलता और सर्व स्वीकृति को ही माना था। इसलिए ''अनेकता में एकता' ही तो भारतवर्ष और हिन्दू धर्म की अनन्य विशेषता है। शशि थरूर को अपने पोंगल के पर्व पर नाज है तो वे स्वयं सबरी माला के अयप्पा स्वामी के भी भक्त वे हैं। जहाँ पर मिथ्या धर्मध्वजी लोग उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबन्धित करते हैं। इस लेखक को केरल के नारायण गुरू पर भी नाज है, जिनका यह संदेश था–

जो दीन-दुखी जन से प्रतिक्षण अनुभव करते हैं अपनापन,
हैं वे ही साधु और सज्जन। समझो उनमें ही है भगवन।

सेवा, दया अथवा करुणा स्नेह और सहानुभूति या दान और परोपकार-परायणता लगभग यही सभी धर्मों के आन्तरिक मूलतत्त्व हैं। झगडा केवल बाह्य कर्मकांड अथवा उपरी दिखावों को लेकर ही हैं। जिस भगवद्‌गीता को हिन्दू धर्म की सर्वमान्य पुस्तक माना जाता है, उसमें भी श्रीकृष्ण यही उपदेश देते हैं कि मुझे जो भी भक्त जिस रूप में ध्याता है मैं उसे उसी रूप में ही उपलब्ध होता हूँ।'' पिफर भी पूजा-पाठ या नमाज अथवा टोपी और दाढी या कंठी और क्रॉस को लेकर रक्तिम संघर्ष क्यों हैं? महात्मा गाँधी और चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य धार्मिक या महापुरुष थे लेकिन वे अनुदार और साम्प्रदायिक कदापि नहीं थे। बल्कि वे सर्वधर्म सद्‌भाव के ही सबल समर्थक ही थे।

अतएव हिन्दू स्वाभिमान या 'गर्व से कहो हम हिन्दू हैं' जैसी गर्वोक्तियों या उत्तेजक नारों से हमें बचना ही होगा। जब हम वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्‌घोष अहर्निश करते हैं तो इस लेखक को यह बात विचित्रा लगती है कि हम अपने ही राष्ट्र के नागरिकों से नपफरत करें धर्म-संस्कृति को लेकर। क्योंकि संस्कृति कोई किसी धर्म विशेष की बंधक कहाँ है, बल्कि वह तो लगभग सभी धर्मों का सार स्वरूप ही तो है। अतएव हम हिन्दू संस्कृति के बजाय भारतीयता की बात क्यों नहीं करते। श्री शशि थरूर राष्ट्रीय एकता और अखण्ड़ता के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अतएव उन्हें विभाजनकारी या विध्वंसकारी राजनीतिक हिन्दूत्व कदापि स्वीकार्य नहीं है। यह पुस्तक भी हमें सहिष्णु और समन्वयशीलता का ही संदेश देती है।

जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की घनघोर वकालत भाजपा अथवा संघी लोग करते हैं, वह असहिष्णु और हिसंक तथा कट्टर धार्मिक मतवाद पर ही तो आधारित होगा। क्योंकि हजारों वर्ष पुराने गले-सड़े शास्त्राीय ध र्मादेशों का तब बलाद आरोपण वर्तमान में किया जायेगा। स्मृति-संहिताओं के सहस्त्रों वर्ष पुराने नियम-विधान वैस भी वर्तमान में प्रासंगिक कहाँ रह गये हैं। मनुस्मृति में जिन विशेषाधिकारों की वकालत द्विजातियों के लिए की गई है, उसे अब कौन मानेगा। इसी प्रकार से स्त्रियों और शूद्रों को जो वहाँ पर मूलभूत मानव अधिकार शिक्षा और समपत्ति से वंचित किया गया है, क्या वे हमारे वर्तमान संविधान की समता और समानता मूलक संकल्पनाओं का ही सर्वनाश नहीं कर देंगी। अतएव इस पुस्तक के लेखक हमें बजाय नॉस्ट्रलेजिक या अतीतान्ध बनने के भविष्योन्मुख ही तो बनाना चाहते हैं। वे महाभारत के कर्ण और एकलव्य तथा रामायण के शम्बूक की भाँति दलितों और पिछड़ों को हिन्दू राष्ट्रवाद के नाम पर एक बार पुनः उसी दुरावस्था में धकेलने के सर्वथा विरोध में ही हमें यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अतएव यह पुस्तक पठनीय और साथ ही साथ विचारोत्तेजक भी हैं।

सांस्कृतिक राष्ट्रवादी लोग हिन्दू जाति को ही न जाने क्यों हिन्दू धर्म मान बैठे हैं। इसीलिए आज उनका उतना बल जयहिन्द के हमारे नारे पर नहीं है जोकि हमें हमारे महान क्रांतिकारी ओर अमर स्वतंत्राता सेनानी श्री सुभाष चन्द्र बोस ने दिया था। भाजपा और संघ के लोग वैसे तो अहर्निश उनके नाम का मन्त्राजाप करते हैं लेकिन उनके दिये गये एक राष्ट्रीय सम्बोध न जयहिन्द के प्रति उन्हें इतनी अनुरक्ति क्यों नहीं है जितनी कि वन्देमातरम् के प्रति है। क्योंकि उनका बल निःसन्देह बजाय हिन्दू शब्द के अब हिन्दुत्व पर ही कहीं अधिक है। इसी प्रकार से भगतसिंह का नाम ये लोग लगातार लेते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस पर क्रांतिकारियों की उपेक्षा के आरोप को भी अहर्निश दोहराते रहते हैं लेकिन उनके जयनाद 'इंकलाब जिन्दाबाद' की तो आज जैसे इन्होंने इतिश्री ही कर दी है।

अब बजाय भारत को भारत कहने के सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों का बल हिन्दुस्तान पर अधिक है? क्योंकि वे इसे केवल हिन्दुओं का ही तो देश मानते हैं। अल्पसंख्यक मुस्लिमों के प्रति उनके मन में वही घोर घृणा है जैसी कि कभी जर्मन नाजियों के मन में यहूदियों के प्रति भरी हुई थी। 1982 ई० के बाबरी मस्जिद ध्वंस के पश्चात ही सारे देश भर में साम्प्रदायिकता का ताण्ड़व नर्तन मचा है ऐसी इस लेखक की मान्यता है, वरना उससे पूर्व स्थानीय स्तर पर ही छुटपुट साम्प्रदायिक दंगे होते थे। लेकिन अब तो तो वही स्वयं सत्ता के सिरमौर बने बैठे हैं। अतएव अन्त में हम भी अपनी बात को इस से समाप्त करना चाहेंगें–

''खुदा के इन बंदो को देखकर ही उससे मुन्किर हुई है दुनियाँ,
जिसके ऐसे हैं बंदे, वो कोई अच्छा खुदा नहीं है।''

आवश्यक सूचना

जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला के सभी आजीवन सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्र व्यवहार का संपूर्ण पता, मोबाईल व दूरभाष सहित जाट सभा कार्यालय को भेजने की कृपा करें ताकि आपको जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका - जाट लहर व सभा द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना नियमित तौर से भेजी जा सके।

आर.के. मलिक, महासचिव
जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला

पेज–1 का शेष

"Bhai Surinder Singh Malik Memorial On The Spot All India Essay Writing Competition" For College/University Students & School Students of Class X, XI & XII on 04th July, 2019.

Jat Sabha, Chandigarh organizes **Bhai Surinder Singh Malik Memorial on the Spot All India Essay Writing Competition** for College/University and school students of classes X, XI & XII every year. This year Competition will be held on 04.07.2019 at the following Centres from 10 to 11 A.M. in two categories i.e. Urban and Rural areas.

Sr. No	Name & Address of Centre	Name of Controller of Examination.
1.	Moti Ram Arya Senior Secondary Sector 27-A, Chandigarh.	Dr. Seema Biji, Principal
2.	Ch. Bharat Singh Memorial Sports School Nidani, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Dalip Singh Malik, Director
3.	Bhai Surender Singh Malik Memorial Girls SR. Sec. School, Nidani (Jind)	Mrs. Rajwanti Malik, Principal
4.	Government Girls Sr. Secondary School, Shamlo-kalan, Distt. Jind (Haryana)	Mrs. Lata Saini, Principal
5.	Government Senior Secondary School Shamlo-kalan, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Sunil Kumar, Principal
6.	Govt. Girls Senior Secondary School Lajwana-kalan, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Satish Chug, Principal
7.	Shiv Senior Secondary School Gatoli, Distt. Jind (Haryana)	Sh. J. S. Kalonia, Director
8.	Government Girls Sr. Sec. School Julana, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Geeta Ram Sharma, Principal
9.	Government Senior Secondary School Julana, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Rakesh Kapoor, Principal
10.	Kanya Gurukul Sadi Pur Julana, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Ved Pal Lather, Secretary
11.	M.R.C.R. Public School, Julana, Distt. Jind (Haryana)	Mrs. Kiran Bala, Principal
12.	R.P.S. Public School, Julana, Distt. Jind (Haryana)	Mrs. Salil Mehta, Principal
13.	Government Senior Secondary School Kilazaffargarh, Distt. Jind (Haryana)	Sh. Pawan Bhola, Principal
14.	C. L. DAV Senior Secondary School Sector 11, Panchkula.	Mrs. Anjali Marriya, Principal
15.	Gyandeep Model High School Sector 18, Panchkula.	Mrs. Suman Deswal, Principal
16.	Bhawan Vidyalaya, Sector 15, Panchkula.	Mrs. Shahsi Bala Banerjee, Principal

The Competition offers an opportunity to the young students to participate in the national building through their rich thoughts and noble deeds. This prestigious competition offers the following prizes for Urban as well as Rural areas:-

First Prize - Gold Medal & cash Rs. 5100/-, **Second Prize** - Silver Medal & cash Rs. 3100/-, **Third Prize** - Bronze Medal & Cash Rs. 2100/-, **Consolation Prize** - First + cash Rs. 1500/-, Second - Rs. 1000, Third - Rs. 900 & Other 6 Prize Rs. 600 Each.

Cellular Jail- a Monument of a Saga of Supreme Sacrifices

- R.N. Malik

There is a small percentage of people who read and analyze the events of freedom struggle of India. While reading the historical span of ninety years(1857-1947), we only look at some personalities like Lakshmibai, Mangal Pandey, Tatia Tope, Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Subhas Bose, Tilak etc. as the principal actors during the long freedom struggle. Indian historians did not take enough pains to describe the long battle with full details. There were

other nationalists and revolutionaries who too made supreme sacrifices to break the chains of serfdom and servitude. (Only two Indian historians i. e. Raj Mohan Gandhi and Ram Chander Guha have written reasonably good books on Mahatma Gandhi after Piarey Lal Nayar- brother of Dr. Sushila Nayar). As a result, we have to read the historical narrative of our freedom struggle in a half baked form.

But there are some isolated books that provide some selected but wonderful details of this golden period. They give detailed accounts of heroic deeds and sufferings of a number of revolutionaries who otherwise are not talked about in commonly read books of history. Khudiram Bose was hanged in similar circumstances as Bhagat Singh and his associates but we rarely find his reference in the history books.

The book Cellular Jail of Andaman by Dr. Ratan Chandra Kar is a treasure of details of supreme sacrifices and sufferings of 500 forgotten revolutionaries. Dr. Kar is an experienced doctor working in G. B. Pant hospital at Port Blair. The book is available at the gate of the Cellular Jail of Andaman only. The book describes in details how British Govt of India decided in 1789 and 1857 to colonize Andaman islands and deport captured Indian revolutionaries of First War of Independence and hardcore convicts there so that they have absolutely no chance to flee as the islands are surrounded by sea in a radius of 1000 miles.

Process of colonization of islands initially started in the year 1789.During those days, ships coming from Europe were frequently wrecked at Andaman islands. When sailors and crew members took shelter at the nearest islands, they were attacked fiercely by local primitives. Therefore East India Company government decided to set up a harbour and a settlement for the infamous criminals at the island. Accordingly, Lt. Col. Colebrook and Lt. Archibald Blair were sent to select a suitable site for the project. They went there and selected Chatham island for the project. (The place is now famous for a big sawmill). The project was completed in September 1789.The Harbour was named after Lord Cornwallis, the Governor General of Bengal. But the settlement (a make shift jail) was abandoned in 1796 as captives and staff members started dying in large numbers due to tropical diseases.

The second attempt to colonize the islands was made in1857. The British Govt. of India made a more serious effort to set up a bigger settlement to deport infamous criminals, sepoys, mutineers, deserters and other anti British activists. The Govt.feared that keeping revolutionaries in Indian jails would spread disaffection against the government more profoundly. Accordingly the government sent a team headed by Dr. J. Moat (I. G. Prison Bengal) to Andaman to select a suitable site for the project. After conducting thorough survey, the committee decided the same island for the project at Chatham. The government approved the proposal in January 1858 and renamed the harbor as Port Blair Further, the government sent Captain Man(Executive Engineer) on 22.02.1858 to proceed to Chatham to take possession of the island and hoist the Union Jack. Dr. Walker (Supdt jail at Agra) was appointed the Supdt. of the settlement project. He (along with 200 convict sepoys of 1857 war, one naval officer, 50 naval guards, one Indian overseer and two Indian doctors) started his journey by ship and reached Port Blair on 10.03.1858 after six days of sea journey. There he met Captain Man and started the work of clearing the jungle in Ross Island as there was severe problem of water scarcity at the original site. The new site also bacame the British Headquarters of administration for the next 90 years.

Thereafter the convicts were sent there in batches. The number of convicts in 1908 (50th Anniversary of Jail) had gone up to 15000. There were 367 female convicts. Some of the convicts who got pardon or released after completion of their jail terms settled there and started their own small Agro jobs (fish, milk, vegetable etc). Some were employed as peons or water carriers in the offices. The revolutionaries started pouring from revolutionary activities or movements like Wahabi movement, Maharashtra revolutionary activities of Balwant Phadke, Manipuri rebels (1891), Gadar movement (1915) Rumpa peasant movement (1879-80,1922-24) Mopla rebels of Malabar (1921) Some revolutionaries were deported to Andaman as a result of trials and sentences in different Conspiracy cases like Lahore Conspiracy Case 1 & 2 or Alipure bomb case. These revolutionaries were the ones who indulged in subversive activities against the Empire and received life imprisonment or less sentences. There were 130 such incidents (146) where 499 revolutionaries were arrested, sentenced and deported to Andaman jail.

Right from the day one, the life at the settlements was full of unbearable miseries like rising temperatures during long summers, incessant rains,

mosquitoes, insects, poor quality of food, virtually non-existing medical facilities and very hard core labour. Initially the convicts were deployed to construct the office and residential buildings. Many convicts died due to diseases like diarrhoea and malaria. Then there was a fight between the convicts and the aborigines the next year. The primitives came in large number and attacked the convicts with sharp arrows. The attack was repelled by use of bullets and cannon shells. As a result, there were large number of casualties on both sides. Soon after large number of convicts ran away from the Island at night, crossed the sea and ran into the forests. They believed that after traversing 200 miles of forest journey, they would be able to reach Burma. It was simply an illusion as Burma was 1000 miles away from the Andaman. Most of the convicts died due to hunger and attacks by the primitives. 87 convicts were captured and executed by hanging with ropes.

Some convicts were ordered to grind the wheat (20kg per person per day) and some were deployed to run the oil mills. There was no mercy for convicts having injuries or fever. As the number of convicts started growing, a jail was constructed at Viper island (5 miles from Ross Island). It consisted of a long boundary wall with 4 jails inside. Barracks were constructed at other islands to accommodate the incoming convicts.

Assassination of Lord Mayo:

Governor General Lord Mayo visited the settlements in Feb 1872. After visiting different places, the Governor came to Hope town jetty on 8.2.1872. An Afridi Pathan convict Sher Ali Khan was hiding in the near by area. He broke the the security cordon and stabbed the Governor General who died on the spot. Sher Khan was captured and executed after a short trial. He was a Wahabi revolutionary who was sentenced and deported to Andaman. Kisore Singh Deo, the Maharaja of Puri, was deported to Andaman for taking part in anti British activities. The jail staff treated him like ordinary convict. He was engaged in hard work and whipped with canes for slow motion in doing the manual duties. Finally the Maharaja breathed his last in1879.

Construction of Cellular Jail

Sir James Lyall and Dr. A. S. Lethbridge(I. G. Prisons) visited Andaman settlements in 1890.After inspection of the entire complex and holding discussions with officials, they recommended to the Govt to construct a modern cellular jail of 600 cells for effecting solitary confinement to fresh batch of convicts for an initial period of six months to study their behavior from close quarters and also acclimatize them to the new surroundings. Also initial solitary confinement of six months will effect deterrence to their incorrigible behavior. The proposal was approved by the Govt. The approval was followed by the process of selection of site at Aberdeen, preparation of drawings and designs and estimation of cost amounting Rs. 4.21 lacs. Construction of jail complex stated in1894 and continued upto 1904.The jail consisted of seven wings inclined at equal angles and other ancillary units like 15 beded hospital, the central tower, conservancy unit, boundary wall gates etc. After completion, the jail building looked like a star fish from the areal view. It was a three storey building with 696 cells. Two wings were demolished by Japanese for the construction of bunkers. Two more wings were demolished by the administration for construction of G. B. Hospital later on. Total cost incurred on the project finally was Rs. 521342.The site of jail at Atlanta Point was 60ft above the sea level. 600 convicts were drawn from different barracks (Viper islands, Navy Bay, Phoenix Bridge etc) and. deployed as regular labourer's during the entire period of construction. 30.lac bricks were manufactured from kilns located at nearby islands where soil was of good quality as raw material. Eighty thousand bricks and other construction materials were procured from Burma.

Freedom fighters in cellular jail

As per records available, 499 revolutionaries or freedom fighters were deported to Port Blair jail from time to time. Revolutionaries who were sentenced with death penalty were kept in Indian jails. Revolutionaries sentenced for life imprisonment or lesser period were sent to Andaman. 74% revolutionaries were from undivided Bengal and 17 percent from Punjab. The details are tabulated below.

State	**1910-1920**	**1932-1938**
Bengal	38	332
U.P.	11	9
Punjab	81	3
Bihar	-	18
Delhi	-	1
Madras	-	3
Maharashtra	3	-
Total	**133**	**366**

Details of revolutionaries sent there between

1921to1931 are not available. Brief sketch of 499 revolutionaries are given at page 58 of the book. These names include persons like Amar Singh of Ludhiana (Shibpur conspiracy case 1934),Kehar Singh (Lahore conspiracy case 1920)Pandit Jagatram of Hoshiarpur (Gadar party 1915),Dhanmantri(blowing of train carrying Lord Irvin in 1930), Dr. Narayan Roy(for throwing bombat the Police Commissionr Mr. Trigart in Calcutta-released in 1939), Batukeshwar Datt (throwing bomb in Assembly along with Bhagat Singh- released in 1939.), Brinda Gosh (brother of Sh. Arobindo of Pondicherry Ashram) etc.

Extent of torture of cinvicts

Unbearable torturing of prisoners was mainly in terms of following counts.

I. Inhospitable climate 2. Communicable diseases 3. Grossly inadequate medical facilities 4.Labourious duties 5.Barbaric treatment from jailor and his stooges.6.Poor quality of food.

Biggest source of unbearable torture was the jailor David Berry and his assistant Mirza Khan. Berry was a tyrant, cruel and a barbaric person of worst order. In fact he defied all descriptions of cruelty. Mirza Khan had other vices too. He was an extremely cunning person and could cook false stories against the prisoners instantaneously to justify his wicked actions.Both of them inflicted all sorts of inhuman punishments a tyrant can think of e. g. flogging, fettering, neck shekels chaining in legs, electric shocks etc. Berry was the most brutal jailor in the history of India till now.

He used to address like this. "Do you see me? My name is David Betty. Remember that God does not come within three miles of Port Blair. There is only one God in the universe and he lives in the heavens. But there is another God on earth in Port Blair. That is myself." Berry was a monster in an human form. So all prisoners were mortally frightened of his figure. The combination of Berry and Mirza Khan was like that of a demon and a monster. Both were extremely abusive. The case of Ulaskar Datta of Maniktala bomb case is sufficient to illustrate the barbarism perpetrated against the prisoners.

"Ulaskar Datta refused to submit to the orders of Berry for doing hard manual work beyond his physical endurance. He was made to stand in the sun with hands tied behind his back. He was having a fever of 107F.Then he was charged with electric shocks in semi conscious state. He remained unconscious for ten days. When he regained some consciousness, he tried to commit suicide.but was detected. Again he refused to do the alloted work. Then Berry ordered his staff to handcuff and suspend him from the roof for a week. He again became unconscious with very high fever. He was then sent to the hospital and he became mad. He was then sent to a lunatic asylum and lived there for twelve years and released after the expiry of his jail term of 14years.

Many convicts committed suicides when they could not bear atrocities and the harshness of the punishments and other ndiginities. Revolutionary Indu Bhushan committed suicide on 29.4.1912. He was ordered to pull the oil mill. Revolutionary Pandit Ram Raksha committed suicide by not eating food for three months. Revolutionary Bhan Singh (Lahore conspiracy case) of Suner village of Ludhiana district was beaten to death in1915. More ghastly details can be read in the book at page 154. Unfortunately the details of in human treatment of prisoners never reached India through the press or otherwise and Congress Party could not do anything in this regard. Even then the leaders like C.R. Dass should have turned their attention to the plight of revolutionaries and other convicts.

Invasion by Japanese forces

Japan attacked Pearl Harbour on 7th December 1941.Thereafter, Japanese forces ran through French, Dutch and British colonies like the knife through the butter. Singapore (I impregnable gate-way of east) fell without firing a single shot. The government started evacuating staff and prisoners from Portblair as a preemptive measure. When the job was half done , Japanese forces landed on Andaman islands on 23.02.1942.They killed the British Chief Commissioner Waterfall and his private secretary A.G. Bird and released the prisoners from the jail. But all these prisoners were deployed for the construction of the incomplete runway. Japanese were equally hard task masters if not more. They did not spare prisoners even if they were ill or injured thus resulting spurt in premature deaths.

Situation turned for the worse when a Dutch submarine started sinking Japanese ships bringing food stuffs to Port Blair. Japanese thought that local people are spying for the British government. Consequently they started rounding up people and shooting them on slight apprehension. Dr. Dewan Singh, head of Indian Independence League was falsely implicated and done to death.

In the first spy case, 55 Indians were arrested

on 22.01.1943. Some of them were tortured to death and remaining were taken to the sea and shot dead. About 1200 Indians were rounded in two other spy cases. Many of them met similar fates. 30th January 1944 was the blackest day in the history of Andaman. 44 prisoners were taken to a village and asked to dig the trench. After the job was done, they were shot down and burried. List of 70 innocent people executed by Japanese soldier is given at page 182.

Subhash Chandler Bose arrived there on 29.12.1943 as head of I. N. A and stayed there for three days. He hoisted the Indian flag on 30th December 1943. Cunningly Japanese did not allow Indians to come close to him. But somehow Indians deputed a boy by the name of Harkishan as a table-boy to whisper into his ears about the atrocities committed by Japanese soldiers. Subhash Bose contacted the Prime Minister of Japan and got the all the prisoners released in no time. It was like the release of prisoners from the Bastille jail during the French revolution.The ordeal did not end here. In February 1945, there was acute scarcity of food due to disruption of food supplies. The Japanese rounded up 700 old and infirm people, took them to the sea near Havelock and bayonetted them to death. Sea water became red and bodies consumed by sharks. The ordeal ended on 15th August 1945 when Japan finally surrendered before the American forces.

These gory details indicate that those who were imprisoned envied the fate of those who were hanged like Bhagat Singh. Indian history of freedom struggle will never be complete and inspiring without the narratives of these forgotten revolutionaries. Dr. Kar deserves all praise for writing this wonderful book.

FALLEN DREAMS : A REALITY OF NRI MARRIAGES

- Alisha

As they say marriages are made in heaven and solemnised on earth, this leaves us wondering if all marriages were made in heaven, because if it were so, there would be no fraud, no pragmatic pursuits behind marriages.

As of 2018, over 35 million NRIs live all over the world. Sadly, 2 out of 10 NRI marriages are resulting in breakups these days, according to reports.

Latest trend in NRI marriages has led to a similar pattern of marriages, wherein, the NRI groom opts for an arranged marriage and abandons his wife in lurch after a short period of marriage, and returns to his country of residence forever. The very essence of their marriages are fraudulent intentions.

Typical instances that are generally seen in NRI marriages

1. Women in these marriages are abandoned even before being taken by their NRI spouses to their country of residence.

2. Quick engagement, big wedding, huge dowry and honeymoon, after which the NRI husband flies back to his foreign land of residence, while wife awaits her visa forever.

3. Women who reached the foreign country of her husband's residence were in some cases stranded on the airport indefinitely, as their husbands never showed up.

5. In some cases NRI husband was already married in the other country.

6. Husband has given false information and concealed facts about his country of residence, Job, immigration status, income and marital status to on these women into marriage.

7. Lately, some cases have seen concealment of NRI husband's sexual orientation and married in the pressure of his parents only to abandon his wife shortly.

8. NRI husbands have pleaded/obtained divorce in their foreign country of residence after returning successfully.

From over a decade, desertion has emerged as a unique form of abuse against women. This is rapidly spreading as an epidemic in India, with pockets of high occurrence in states of Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Delhi etc. Desertion of brides at the hands of these NRI grooms has become more alarning with increasing number of cases. As per the studies, most of the fraudulent NRI marriages are an outcome of various matrimonial websites on internet and online newspapers that picture these NRIs as a tempting marriage prospect. Also many a times such ads are found to be an exaggeration of the boy, his family status and manipulation of the facts.

The horrific tales of sufferings of unsuspecting and naive Indian brides in alien lands is shocking. Many of them including the educated ones, tried hard to save their marriage despite being cheated on at every step.

According to the ministry of External Affairs (MEA), on an average, it receives one distress call from married NRI women in every eight hours, Mostly from US, Canada & Middle East.

महानतम् क्रान्तिकारी, विश्व सरकार के प्रेणता, त्याग-मूर्ति भारत की प्रथम अस्थायी स्वतन्त्रा सरकार के राष्ट्रपति, राजर्षि राजा महेन्द्र प्रताप

– डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार

"प्रेमे धर्म, संसार-सघ अरु, नव-विचार विज्ञानी।
जगत का अलख जगाया, जनहित अद्भुत दानी।।
जब तक जग में मनुज रहेंगे, श्रद्धा सिक्त झुकेंगे।
नृपति महेन्द्र प्रताप आपको, हम शतः-शतः नमन करेंगें।।"

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की मुख्य धारा के प्रवर्तक के रुप में यदि महात्मा गान्धी और कांग्रेस संगठन को स्वीकार किया जा सकता है तो यह भी सत्य है कि सन् 1920 में, इस नवजात संगठन को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्णा गोखले की विरोधी विचारधाराओं ने भी समान रुप से परिपोषित किया और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, दिनशाबाचा व फिरोजशाह मेहता का भी सहयोग एवं नेतृत्व प्राप्त हुआ। गान्धी जी के अहिंसात्मक आन्दोलन के विपरीत यदि क्रान्तिकारियों के आत्म-बलिदान न होते तो सम्भवतः ब्रिटिश शासन को यह समझने में देर लगती कि भारतीय जन-मानस उपनिवेशी शासन को आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र-क्रान्ति से समाप्त करने का साहस भी कर सकता है। क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में मूलतः यह स्वीकार किया जाता है कि यह मध्यमवर्गीय भारतीय समाज के दिग्भ्रान्त अथवा असन्तुष्ट युवकों का एक क्षणिक आवेग था किन्तु सत्य इसके विपरीत है। लेकिन सत्य है कि तत्कालीन सामन्तशाही राजसी-वैभव में रहते हुए आमोद-प्रमोद में तल्लीन थी किन्तु कुछ ऐसे भी सामन्त राजे-महाराजे थे जो जन-साधारन के उत्थान तथा देश की स्वतन्त्रता के लिए घर-फूँक तमाशा देखने के लिए तैयार थे। ऐसे सामन्तशाही वर्ग में से कुछ ने यदि कांग्रेस के साथ उदार सम्पर्क बनाये रखे तो कुछ ने सशस्त्र क्रान्तिकारियों का साथ दिया। यह कल्पना कठिन जरुर थी लेकिन इसे सत्य सिद्ध कर दिया हाथरस-नरेश राजा महेन्द्र प्रताप ने। दूसरे शब्दों में, राजा महेन्द्र प्रताप सामन्ती-संस्कृति के उन शीर्षस्थ और मूर्धन्य सदस्यों में से एक थे। जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए प्राण-प्रण से न केवल संघर्ष किया अपितु जिनकी विचारधारा भविष्य के भारत के निर्माण हेतु एक उपयोगी प्रारुप देने में समक्ष और समर्थ रही।

राजा महेन्द्र प्रताप का जन्म 01 दिसम्बर सन् 1886 को मुरसान-नरेश राजा बहादुर घनश्याम सिंह के यहाँ हुआ। राजा साहब की शिक्षा-दीक्षा वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में हुई। आपकी शादी तत्कालीन जींद (पंजाब) राजघराने से हुई। राजा जी को सन् 1906 में हाथरस की रियासत का शासन मिला। हाथरस नरेश हरिनारायण सिंह ने आपकों गोद ले लिया था। वहाँ आठ वर्ष तक उन्होंने शासन किया। वे भारतीय थे जिन्होंने सन् 1909 में औद्योगिक शिक्षा के लिए वृन्दावन में 'प्रेम महाविद्यालय' नाम से एक संस्था की स्थापना की जो आगे चलकर भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियो का एक प्रशिक्षण केन्द्र भी बन गयी थी। सन् १९१४ में राजपाट त्यागकर वे स्वतन्त्रता की खोज में क्रान्ति-पथ के पथिक बन गए। इस मध्य उन्होंने देश और विदेशों की यात्राऐं की। परिणामतः एक ओर जहाँ उनके मन में समाज के उत्थान के लिए विचार पनपा, वहीं दूसरी ओर छूआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में वे सबसे आगे रहे।

दिसम्बर, सन् 1914 में राजा महेन्द्र प्रताप क्रान्तिकारियों के साथ हो लिए और स्विटजरलैण्ड में श्यामजी कृष्ण तथा लाला हरदयाल जैसे क्रान्तिकारियों से उनकी भेंट हुई। इस क्रम में जर्मनी पहुँचे और वहाँ के शासक विलियम कैसर से भी मिले। मिश्र, अफगानिस्तान, तुर्की, तिब्बत, हंगरी, रुस, जापान, चीन, इटली, अमेरिका आदि देशों में पहुँचकर उन्होंने देश की स्वतन्त्रता की सम्भावनाओं पर वहाँ के शासकों के साथ विचार-विमर्श किया। काबुल में 01 दिसम्बर सन् 1915 को उन्होंने पहली स्थानापन्न स्वतन्त्र राष्ट्री सरकार की स्थापना की घोषणा की। जिसमें वे राष्ट्रपति और मौलाना बरकतुल्लाह प्रधानमन्त्री थे। इस सरकार ने जर्मन के साथ गुप्त रुप से बातचीत की ताकि देश को स्वतन्त्र कराया जा सके। मौलाना बरकतुल्लाह, ऊधम सिंह, डा० मथुरा सिंह आदि उनके सक्रिय कार्यकर्ता और सहयोगी रहे। रुस से भी उन्होंने इस दिशा में सहायता माँगी और लैनिन से भेंट की, लेकिन ब्रिटिश-अफगान युद्ध में अफगानों की विजय के बाद सशस्त्र क्रान्ति की योजना सफल न हो सकी। इस संघर्ष की गाथा से स्पष्ट हो जाता है कि राजा महेन्द्र प्रताप ने किस प्रकार देश के बाहर जाकर देश की स्वतन्त्रता के लिए युद्ध छेड़ने की चेष्टा की थी और यह भी कि अन्तर्राष्ट्रीयजगत में ऐशियाई और यूरोपीय देशों के साथ उनके अनन्य सम्बन्ध थे।

राजा महेन्द्र प्रताप ने सन् 1929 में बर्लिन (जर्मनी) में "वर्ल्ड-फैडरेशन" (world Federation) नामक समाचार पत्र प्रारम्भ किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा चीन से भी प्रकाशित हुआ। सन् 1906 से भारत में हिन्दी में 'संसार-संघ' अंग्रेजी में 'वर्ल्ड फैडरेशन' और उर्दू में ''इत्तहादे-दुनिया'' देहरादून,

दिल्ली तथा वृन्दावन से प्रकाशित हुए। श्री शिवकुमार प्रेमी जी इनके यशस्वी सम्पादक रहे जो राजा साहब के प्रथम शिष्य व परम भक्त थे। श्री प्रेमीजी ने. ''राजा महेन्द्र प्रताप मिशन, वृन्दावन'' की स्थापना की।

देश की आजादी की प्राप्ति के बाद राजा महेन्द्र प्रताप ने सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के दृष्टिकोंण से विचार किया। सांसद के रुप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा साब ने अपनी रही बची सम्पत्ति सार्वजनिक संस्थाओं को दान दे दी और मृत्यु पर्यन्त (29 अप्रैल, 1997) 'प्रेम-धर्म','संसार-संघ' और नवीन विचार विज्ञान' के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। उन्होंने अपने जीवन-काल में हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में अनेकों पुस्तकें लिखकर भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिन्तन में महत्वपूर्ण योगदान किया। इस पृष्ठभूमि में उनके विचार बहुआयामी हैं और उनका विश्लेषण प्रासंगिक है। पेशवा अपना रहनुमा होता है और दूसरों का भी। जो कहता है:-

कबिरा खड़ा बाजार में, लिए लकुटिया हाथ। जो घर फूँकें आपना, चले हमारे साथ।।

वह किसी को रहनुमा नहीं बनाता। जब राजा महेन्द्र प्रताप ने अपना घर फूँका, तब उनका रहनुमा नहीं था। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना पसन्द किया, अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। शिवाजी का छत्र और ओरंगजेब के आगे नहीं झुका। राजा महेन्द्र प्रताप में सामन्ती शान थी जो क्रान्ति की लहर में निमग्न हो गई। कहाँ सन् 1914 का भारत और कहाँ 1947 का जय-हिन्द? 70वर्ष का हमारा आरोहण, इसके बाद आरोहण यात्रा जारी है: लक्ष्य अभी दूर है।

राजा महेन्द्र प्रताप ब्रज-भूमि में जन्में, भारतीय स्वतन्त्रता के लिए उन्होंने संघर्ष किया, देश-विदेशों में समता, प्रेम और सह-अस्तित्व की भावना के प्रचार व प्रसार में उन्होने अपने को खपाया, परन्तु इस सबके अन्तर में राजा साहब का मूल उद्देश्य विश्व-प्रेम और विश्व-शान्ति ही रहा है, जिसका साधन वे समस्त विश्व की सरकारों का एक संघीय राष्ट्र के रुप में गठन मानते हैं। यही उनके समस्त जीवन-साधन का एक मात्र लक्ष्य हैं, जो उन्हें राजनीतिज्ञों की श्रेणी में नहीं वरन् 'राजर्षि' की श्रेणी में नहीं, वरन् 'राजर्षि' की श्रेणी में अग्रगण्य स्थान प्रदान करता है। इसलिए वे केवल भारत के ही नहीं, बल्कि इस अखिल विश्व की महानतम विभूति हैं। विदेशों में कई बार स्वयं बौद्ध आचार्यों ने जीवित बुद्ध' मानकर उनका सम्मान किया।

वैवाहिक विज्ञापन

- *SM4 Jat Girl (DOB 02.11.93) 25/5'3" MA (English), JBT, BSC Non-medical, Employed in a reputed Company at Mohali. Avoid Gotras: Mann, Malik, Jaglan, Cont.: 9416650693*
- *SM4 Jat Girl (DOB 14.10.93) 25/5'4" MSc Math. Avoid Gotras: Joon, Bakhal, Sangwan, Gahlayan. Cont.: 9467311110*
- *SM4 Jat Girl Manglik (DOB 29.02.92) 27/5'4" MSc Physics from P.U. B.Ed, PTET cleared. Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Singhmar, Sindhu. Cont.: 9463330394*
- *SM4 Jat Girl (DOB April 89) 30/5'4" MCA from P. U. Chandigarh, Employed in Punjab & Haryana High Court. Avoid Gotras: Sheoran, Punia, Sangwan, Cont.: 9988359360*
- *SM4 Jat Girl (DOB 19.09.91) 27/5'3" B. Tech, MBA, Employed in MNC Company at Gurugram. Avoid Gotras: Deswal, Kadian, Rathee. Cont.: 8427945192*
- *SM4 Manglik Jat Girl 25.7/5'2" Post Graduate (MA) from P.U. Avoid Gotras: Beniwal, Sejwal, Kadian. Cont.: 6284292884*
- *SM4 Jat Girl (DOB 25.09.95) 23/5'1" M.Com final year. Avoid Gotras: Dulat, Sindhu. Cont.: 9416071509, 9354766729*
- *SM4 Jat Girl (DOB 07.11.92) 26/5'2" M.Sc Physics, BEd. Parents Government employees. Avoid Gotras: Rathee, Ahlawat, Jakhar. Cont.: 9466905848*
- *SM4 Jat Girl 25/5'4" B.Sc, BEd., MSc Math, Employed as Math teacher in coaching centre. Parents Government employees. Avoid Gotras: Kaliraman, Panwar, Jani. Cont.: 9416083928*
- *SM4 Jat Girl (DOB August 90) 28/5'3" B.Tech (CSC) MBA, Employed in reputed Consultant (MNC) Earnst & Young Company Father retired, Mother self employed. Avoid Gehlan, Kashyap, Dagar. Cont.: 9417055709, 9464989509*
- *SM4 Jat Girl (DOB Oct.93) 25/5' B. Tech Electronics & Communications from GJU, Hisar. Avoid Gotras: Nain, Redhu, Seoukand. Cont.: 9613166296, 9416942029*
- *SM4 Jat Girl (DOB Jan. 95) 24/5'1" B. Com from Hisar. Avoid Gotras: Nain, Redhu, Seoukand. Cont.: 9613166296, 9416942029*
- *SM4 Jat Girl 27/5' BA (Hons.) PG Diploma in Interior Designing. Avoid Gotras: Beniwal, Khatri, Sehrawat. Cont.: 9876060046, 9815879978*
- *SM4 Jat Girl (DOB 18.04.91) 28/5'3" BPT, MPT CMT, Employed as consultant Physiotheraphy in private Hospital in Panchkula. Avoid Gotras: Chhikara, Dahiya, Bajar. Cont.: 9467680428*
- *SM4 Jat Girl (DOB 07.05.90) 29/5'5" M.Sc Bio Informatics, B.Sc Biotechnology. Working in Research Company with*

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। –रवीन्द्रनाथ टैगोर

package 3.7 lakh PA. Father ex-IAF. Now working in Haryana govt. Brother, Bhabi working in UK. Avoid Gotras: Katira, Khatkar, Boora. Cont.: 9988643695, 6283129270

- *SM4 Jat Girl (DOB 28.02.87) 32/5'2" BSc. MSc. Hons. in Physics, PhD in Physics. Working as Assistant Professor in Physics on regular basis in Chandigarh. Avoid Gotras: Malik, Kaliraman, Dahiya. Cont.: 9988336791*
- *SM4 divorced Jat Girl (DOB 12.05.88) 30.10/5'2" BSc. (MLT), MSc (MLT) from Punjab Technical University Jallandhar. Working as Lab Incharge in reputed Paras Hospital Sector 22, Panchkula. Father in Government job at Panchkula. Avoid Gotras: Mittan, Kharb, Dahiya. Cont.: 8146082832*
- *SM4 Jat Girl (DOB 04.12.90) 29/5'2" MCA Working in Mobile Programming Co. at Mohali. Avoid Gotras: Gulia, Malhan, Dalal. Cont.: 9780385939*
- *SM4 Jat Girl (DOB 29.11.89) 30/5'4" M.Sc Chemistry. Doing job in School. Avoid Gotras: Hooda, Lamba, Pawria. Cont.: 9416849287*
- *SM4 Jat Girl (DOB 18.08.91) 28/5'3" Diploma, B.Tech in Electrical Communications from Rohtak. Avoid Gotras: Pawria, Ahlawat, Nandal. Cont.: 9811658557*
- *SM4 Jat Girl 27/5'4" Graduation from Kurukshetra University. GNM from Pt. Bhagwat Dayal Sharma University Rohtak. Avoid Gotras: Bankura, Mann, Narwal. Cont.: 9354839881*
- *SM4 Jat Girl (DOB 03.10.92) 26/5'5" M.Sc. Physics from P. U. B.Ed. HTET, CTET cleared. Pursuing Ph.D from Mulana. Avoid Gotras: Gahlayan, Khatkar, Chhikara, Boora. Cont.: 9467630182, 7009312721*
- *SM4 Jat Girl (DOB 13.10.91) 27/5'5" BA, LLB (Hons.), LLM Pursuing Ph.D from M.D.U. Rohtak. Advocate in Punjab & Haryana High Court. No dowry seeker. Preferred match from Chandigarh, Panchkula, Mohali. Own flat at Panchkula. Avoid Gotras: Malik, Deswal. Cont.: 9417333298*
- *SM4 Jat Girl 27/5'5" M.Com, MBA Working in government bank as officer in Panipat. Family settled in Bhiwani. Avoid Gotras: Gawaria, Sangwan, Sunda. Cont.: 9646519210*
- *SM4 Jat Girl (DOB Oct. 86) 32/5'5" MSc (Geography), M.Phil, PhD (pursuing from Punjab University since March, 2015) NET, JRF qualified. Father retired Haryana government officer. Avoid Gotras: Panghal, Dalal, Sangwan. Cont.: 9646404899*
- *SM4 Jat Girl (DOB 08.11.89) 29/5'3" Employed as staff nurse in Government hospital. Father Govt. job. Avoid Gotras: Dahiya, Kajla, Ahlawat. Cont.: 9463881657*
- *SM4 Jat Girl (DOB 29.12.92) 25.11/5'3" B.A Working as Teacher in private institute. Avoid Gotras: Punia, Saral, Ghanghas. Cont.: 9888685061*
- *SM4 Manglik Jat Boy (DOB 24.09.90) 28/5'7" B.Tech in Mechanical Engineering from Mulana University, Ambala. Employed as Upper Division Clerk in Chandigarh Administration. Family settled in Chandigarh. Avoid Gotras: Hooda, Kadian, Dalal. Cont.: 7973036732*
- *SM4 Jat Boy (DOB 06.06.90) 29/5'7" B. Com, M.A. 2nd Year. Employed in Government job in U. T. Secretariat Chandigarh. Avoid Gotras: Dahiya, Malik, Bura. Cont.: 9050016311*
- *SM4 Jat Boy (DOB 13.01.91) 28/5'9" MBA. Employed as P. O. in Bank of in Baroda. Avoid Gotras: Narwal, Mann, Duhan. Cont.: 9417579758*
- *SM4 (Dr.) Jat Boy (DOB 02.09.85) 33/5'8" BDS Banglore. Father Retired Principal, Mother MA, BEd. Two sisters BDS/MBBS. Brother one BDS. Six acre agriculture land. Own Plots, flats and clinic. Required BDS, BAMS, BHMS, Nurse. Avoid Gotras: Deswal, Dahiya, Mor. Cont.: 9868092590*
- *SM4 Jat Boy (DOB 10.03.90) 29/5'11" BSc in H.M. Employed in railways. Avoid Gotras: Punia, Sangwan, Sheoran. Cont.: 9815304886*
- *SM4 Jat Boy (DOB 11.11.93) 26/5'8" MSc Physics. Employed as Central Excise Inspector. Preference government employee with height 5'4". Avoid Gotras: Chahal, Dangi, Bagri. Cont.: 9416561365*
- *SM4 Jat Boy (DOB 06.08.91) 28/5'6" B. Tech, Working in MNC I.T. Park Chandigarh with Rs. 8 lakh package PA. Avoid Gotras: Dahiya, Ruhella, Ruhil. Cont.: 9467806085*
- *SM4 Jat Boy (DOB 07.08.93) 26/5'8" B.V. Sc. Employed in Government job on contract basis at Rohtak. Avoid Gotras: Gehlan, Khatkar, Malik, Boora. Cont.: 9467630182*
- *SM4 Jat Boy (DOB February, 89) 29/5'11" MBBS. M.O. in Haryana. Father retired from Haryana government. Employed as Auditor in Audit & Accounts Department (C & AG of India). Avoid Gotras: Sangwan, Datarwal, Legha. Cont.: 8058980773*
- *SM4 Jat Boy (DOB 19.09.86) 32/5'11" Employed as Major in Army. Avoid Gotras: Malik, Ahlawat, Sangwan, Dhaka. Cont.: 9050422041*
- *SM4 Jat Boy (DOB 3.10.90) 28/6' B.Tech, Employed as Auditor in Audit & Accounts Department (C & AG of India), Avoid Gotras: Dhankhar, Suhag, Sangwan. Cont.: 8219949508*
- *SM4 Jat Boy (DOB 26.05.92) 26/5'8" B.Tech Mechanical, Own factory at Panchkula (PCB Manufacturing) Father Govt. job. Avoid Gotras: Dahiya, Kajla, Ahlawat. Cont.: 9463881657*

जो अपना चित्र मुझमें लगा देते हैं, वे मेरी कृपा से संसार के सभी दुःखों से पार हो जाते हैं। –श्री कृष्ण

जरुरत से ज्यादा गन्ने का उत्पादन क्यों?

– डॉ. भरत झुनझुनवाला

गन्ना किसान इस समय दो समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तरफ उन्हें गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो वह भी बहुत देरी से। वहीं भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। इससे उत्पादन का खर्च भी बढ़ रहा है। किसानों को समय से भुगतान न मिलने का मुख्य कारण यह है कि गन्ने का दाम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है जबकि चीनी मिलों को चीनी बाजार भाव पर बेचनी पड़ती है। वर्तमान में बाजार भाव पर गन्ने का यह ऊंचा दाम अदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसे जैसे गृहणी को कहा जाए कि अच्छी गुणवत्ता का आटा लाएं लेकिन उसका बजट न बढ़ाया जाए। ऐसे में समस्या पैदा हो जाती है। गन्ने का ऊचां दाम होने से किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। इसलिए किसान गन्ने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं जबकि चीनी मिलें उससे उत्पादित चीनी को बेचने में असमर्थ हैं। चीनी मिलों को घाटा रहा है। फिलहाल गन्ने का दाम लगभग 2,800 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं अमेरिका में इसका दाम 2,200 रुपये प्रति क्विंटल हैं विश्व बाजार में चीनी का दाम आज लगभग 22 रुपये प्रति किलो है जबकि भारत में यह लगभग 35 रुपये प्रति किलो है। इससे अंदाज लगता है कि भुगतान की समस्या मूलतः गन्ने के ऊंचे दाम निर्धारित किए जाने के कारण है। इस समस्या का हल यह हो सकता है कि चीनी के अधिक उत्पादन का निर्यात कर दिया जाए परंतु यह भी कठिन है क्योंकि विश्व बाजार में चीनी का दाम भारत से कम है। इसलिए भारत में उत्पादित चीनी को बेचने के लिए सरकार को भारी मात्रा में निर्यात सब्सिडी देनी होंगी। इसमें विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ के नियम आड़े आएंगे और सरकार के ऊपर खर्च का बोझ भी पडेगा। सरकार पहले उर्वरक ओर बिजली पर सब्सिडी देकर गन्ने का उत्पादन बढ़ा रही है और फिर उस बढे हुए उत्पादन पर निर्यात सब्सिडी देकर उसका निष्पादन कर रही हैं यह उसी प्रकार हुआ कि जैसे आप आलू का एक बोरा बाजार से खरीद लाएं और फिर कुली को पैसा देकर कहें कि उसे कूड़ेदान में फेंक दे। इस प्रकार की दोहरी मार सरकार पर पड़ रही है तो निर्यात का रास्ता नहीं होगा।

दूसरा संभावित हल है कि गन्ने से चीनी बनाने के स्थान पर पेट्रोल एथनॉल बना लिया जाए। गन्ने से एथनॉल नाम का उत्पादन बनता है जिसे पेट्रोल के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। ब्राजील ने इस नीति का सफल इस्तेमाल किया है। वहां गन्ने का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। विश्व बाजार में पेट्रोल महंगा होता है तो ब्राजील गन्ने का उपयोग एथनॉल के उत्पादन के लिए करता है और निर्यात कम कर देता है। इसके विपरीत जब विश्व बाजार का निर्यात कम कर देता है। इसके विपरीत जब विश्व बाजार में चीनी का दाम अधिक होता है तो एथनॉयल का उत्पादन कम करके चीनी का उत्पादन बढ़ाता है और चीनी को निर्यात कराता है। भारत सरकार को भी ब्राजील की नीति को अपनाना चाहिये। सरकार का प्रयास हो कि देश में एथनॉल का उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे आयातित तेल पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाए और चीनी के अधिक उत्पादन की समस्या से भी मुक्ति मिले। गन्ने का उपयोग एथनॉल बनाने के लिए होगा तो चीनी का उत्पादन कम किया जा सकेगा।

इस नीति में संकट पानी का है। भारत में ब्राजील की तुलना में पानी की उपलब्धता बहुत कम है। ब्राजील में प्रति वर्ग किलोमीटर दायरे में 33 लोग रहते हैं जबकि भारत में 416 लोग। ब्राजील में औसत वार्षिक वर्षा 1250 मिलीमीटर होती है जबकि भारत में 500 मिलीमीटर। इन दोनों आकड़ों का सम्मिलित प्रभाव यह है कि ब्राजील में भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति तीस गुना पानी अधिक उपलब्ध है। जब ब्राजील गन्ने का उत्पादन अधिक करता है तो वहां पानी की समस्या उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वहां जनसंख्या कम है और वर्षा अधिक। वहां पानी की खपत भी कम है। हमारे यहां गन्ने का उत्पादन बढ़ाकर उससे एथनॉल बनाने का सीधा परिणाम यह होगा कि वर्तमान में भूमिगत जल का जो स्तर गिर रहा है वह और तेजी से घटेगा। भूमिगत जलस्तर गिरने से समस्याएं पैदा होंगी। गहराई से पानी निकालने में बिजली अधिक खर्च होगी।

यह देखने को मिल रहा है कि किसानों को हर दूसरे-तीसरे वर्ष अपने टयूबवेल की गहराई बढ़ानी पड़ रही है। वे अर्से से भूजल का दोहन करके ही गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं- वैसे जैसे कोई बैंक में रखे फिक्स डिपॉजिट की रकम खत्म होनी ही है। इसी तरह यदि सदियों से संचित भूमिगत जल को हम गन्ना उत्पादन के लिए उपयोग करते रहेंगे तो वह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। तब देश के सामने खा । सुरक्षा का भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। गन्ने का उत्पादन करके हम उसकी खपत एथनॉल बनाने में कर लेंगे, परन्तु देश के पास गेहूं और चावल उत्पादन करने के लिए पानी नहीं रह जाएगा। इसलिए एथनॉल बनाने के लिए गन्ने का उत्पादन भी फिलहाल बहुत कारगर विकल्प नहीं मालूम पड़ता जिस पर अमल किया जाए।

इस समस्या का तीसरा हल यह सुझाया जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई जरूरत से ज्यादा चीनी के उत्पादन को खरीदकर बफर स्टॉक बना ले। भारत में चीनी की सालाना खपत 2.6 करोड़ टन है। इसके लिए एक करोड़ टन का बफर स्टॉक हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और इस वर्ष 3.6 करोड़ टन चीनी उत्पादन होने का अनुमान है। इसका अर्थ है कि वर्ष के अंत तक हमारे पास दो करोड़ टन का बफर स्टॉक हो जाएगा। यदि हम गन्ने के उत्पादन की नीति पर डटे रहे तो अगले वर्ष यह और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस नीति के तहत चीनी के अधिक उत्पादन का हल नहीं खोजा जा सकता।

गन्ना किसानों की समस्या का एकमात्र हल यह है कि गन्ने का उत्पादन कम किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए गन्ने के मूल्य के दामों में भारी कटौती की जाए। गन्ने का दाम कम होगा तो किसान स्वयं गन्ने का उत्पादन कम करेंगे। इससे पानी भी बचेगा क्योंकि गन्ने के उत्पादन में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। गन्ने की एक फसल का उत्पादन करने में लगभग 20 बार पानी दिया जाता है जबकि गेंहू अथवा धान को दो या तीन बार सींचने से ही काम हो जाता है। एक और लाभ यह होगा कि सारकार द्वारा बिजली, उर्वरक और निर्यात पर जो सब्सिडी दी जा रही है, उसकी भी बचत होगी। समस्या यह है कि इससे किसान उद्वेलित होंगे। इसका उपाय यह है कि उर्वरक, बिजली और निर्यात के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दें। इससे किसानों को सीधे रकम मिल जाएगी और उनके गन्ने के अधिक उत्पादन का मोह समाप्त हो जायेगा। (दैनिक जागरण से साभार)

करोडों की लागत से बनेगा कटरा में माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिये रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम यात्री निवास

आपको यह जानककर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ तथा रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम सभा जम्मू द्वारा आप सभी के सहयोग से गांव नौमई-कटरा, जम्मू में रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम की यादगार में पांच मंजिले यात्री निवास का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

यह विशाल भवन 1,20,000 वर्गफूट में बनाया जाएगा, जिसमें फैमिली सुइट सहित 300 कमरे होगें। करोड़ों रूपये की लागत से बनने वाले इस भवन में 5 मंजिल होगी जिन्हे 5 चरणो में पूरा किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा हेतू भवन में 5 लिफ्ट भी लगाई जायेगीं। यह भवन स्थल जम्मू से 35 किलोमीटर दूर मैन जम्मू-कटरा हाईवे तथा कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भवन निर्माण के लिए 10 कनाल जमीन खरीद ली गई है, जिस पर जमीन समतल करने तथा अस्थाई स्टोर व सिक्योरिटी गार्ड रूम का निर्माण कार्य चल रहा है। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कान्फ्रैंस हाल, मैडीकल स्टोर, डिस्पैंसरी, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके बच्चों के लिए मुफ्त ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं।

यात्री निवास का भूमि पूजन 24 अक्तुबर 2018 को किया गया। भवन की आधारशिला व रहबरे आजम दीन बंधु चौधरी छोटू राम की प्रतिमा का अनावरण दिनांक 10 फरवरी 2019 को बंसत पंचमी अवसर पर चौधरी बीरेन्द्र सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री, डॉ0 जितेन्द्र सिंह, केन्द्रिय राज्य मंत्री तथा जम्मू काश्मीर के महामहिम श्री सत्यपाल मलिक के कर कमलो द्वारा किया गया ।

अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार अनुदान देने की कृपा करें। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में 3 दिन तक मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। इस भव्य भवन के लिए निर्माण सामग्री का भी योगदान दिया जा सकता है। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फत सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

जाट सभा को दी जाने वाली अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : **डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)**
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़
जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 फैक्स : 0172–2641127
Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020 **RNI No. CHABIL/2000/3469**

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।